

2

प्रसार भारती PRASAR BHARATI

Broadcasting Corporation of India

वार्षिक लेखा
2001-02
Annual Accounts
2001-02



PRASAR
BHARATI



द्वितीय तल, पी टी आई भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001
2nd floor, PTI Building, Parliament Street, New Delhi 110001

प्रसार भारती
(भारतीय प्रसारण निगम)
पी0टी0आई0 भवन, दूसरा तल,
संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

PRASAR BHARATI
(Broadcasting Corporation of India)
P.T.I. Building, 2nd Floor,
Sansad Marg,
New Delhi-110 001

लेखा परीक्षा रिपोर्ट

AUDIT REPORT

2001-02

प्रसार भारती
(भारतीय प्रसारण निगम)
पी०टी०आई० भवन, दूसरा तल,
संसद मार्ग,
नई दिल्ली-110001

PRASAR BHARATI
(Broadcasting Corporation of India)
P.T.I. Building, 2nd Floor,
Sansad Marg,
New Delhi-110 001

लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं अन्तिम लेखा

AUDIT REPORT & FINAL ACCOUNTS

2001-02

लेखा परीक्षा की गई

कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व,
इन्द्र प्रस्थ इस्टेट
नई दिल्ली-110002

ACCOUNTS AUDITED BY

DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
CENTRAL REVENUE
INDRAPRASTHA ESTATE
NEW DELHI-110001



सत्यमेव जयते

कार्यालय महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT, CENTRAL REVENUES

इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110 002
INDRAPRASTHA ESTATE, NEW DELHI - 110 002

क्रमांक/No.....ए.एम.जी.॥एस.ए.आर./पी.बी./2004-05/

दिनांक/DATED

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
ए, विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली।

विषय: वर्ष 2001-02 के लिए प्रसार भारती, नई दिल्ली पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), नई दिल्ली के वर्ष 2001-02 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की हिन्दी प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेजों की दो प्रतियाँ, उस तिथि को दर्शाते हुए जब ये संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया पावती भेजें।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीया,

६०

निदेशक (ए.एम.जी.॥)

सं.ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./पी.बी./2004-05/ 652

दिनांक: 5.7.2005

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की हिन्दी प्रति सहित श्री एन समाती, लेखा नियंत्रक एवं महाप्रबंधक, प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) पी.टी.आई. बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001 को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेजों की दो प्रतियां, उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाएं।

निदेशक (ए.एम.जी. II)

दिनांक:

ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./पी.बी./2004-05/

प्रति, प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की हिन्दी प्रति सहित श्री बी.के.सेठी, वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (रिपोर्ट-ए बी) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002 को अग्रेषित की जाती है।

यह पत्र म.नि.ले.प.के.रा. के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

निदेशक (ए.एम.जी. II)

वर्ष 2001-02 के लिए प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) नई दिल्ली के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

प्रस्तावना

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), भारत के राजपत्र संख्या 643 दिनांक 23.11.1997 में अधिसूचित संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। निगम के मुख्य उद्देश्य है:-

- जनता को सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन हेतु लोक प्रसारण सेवाओं का आयोजन एवं संचालन करना एवं रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करना;
- देश की एकता एवं अखंडता को संभालना और संविधान के मूल्यों को प्रतिस्थापित करना;
- राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय लोकहित के सभी मामलों पर स्वतन्त्रतापूर्वक, सत्यनिष्ठा तथा निष्पक्ष रूप से नागरिकों के हितों की सुरक्षा करना तथा विरोधी विचारों के विषय में इनकी अपने मत या विचार धारा का समर्थन न करके उनको सम्मिलित करके सूचनाओं के उचित व सन्तुलित प्रवाह को प्रस्तुत करना;
- शिक्षा और साक्षरता फैलाना, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना;
- खेलकूद और क्रीड़ा को पर्याप्त रूप से आवृत्त करना जिससे कि स्वस्थ मुकाबले और क्रीड़ा-कौशल की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके;
- विभिन्न स्तरों पर प्रसारण के अतिरिक्त चैनल स्थापित करके प्रसारण सुविधाओं का विस्तार करना।

22.5.2000 को संघ सरकार और प्रसार भारती के बीच शुरू हुए समन्वयन के ज्ञापन के अनुसार प्रसार भारती ने 2000-01 से परिवर्तन करके नई लेखा पद्धति अपनायी। लेखे पूरे भारतवर्ष में फैली हुई प्रसार भारती की सभी इकाइयों के लेखों की स्थिति दर्शाते हैं। प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), जिसके दो सहयोगी खंड क्रमशः आकाशवाणी और दूरदर्शन हैं ने 1.4.2000 से अपने कार्य कलाप प्रारम्भ किये हैं। इन दो खंडों के दिन प्रतिदिन की प्राप्ति एवं भुगतान के लेन-देन मूलतः लगभग 600 आ.स. कार्यालयों के द्वारा निष्पादित किये जाते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971, के अनुच्छेद 19 (2) तथा प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1997 के अनुच्छेद 21 (3) के अन्तर्गत प्रसार भारती के लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाती है।

प्रसार भारती मुख्यतः भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से सहायता अनुदान एवं ऋणों से वित्तपोषित होती है। प्रसार भारती ने वर्ष 2001-02 के दौरान भारत सरकार से 930.13 करोड़ रु. का अनुदान एवं 142.05 करोड़ रु. का ऋण प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त निगम ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों से 9.09 करोड़ रु. का सहायता अनुदान प्राप्त किया। इसने इस वर्ष के दौरान 562.46 करोड़ रु. की वाणिज्यिक प्राप्तियाँ और 1.09 करोड़ रु. की गैर वाणिज्यिक प्राप्तियाँ सृजित कीं।

लेखाओं पर टिप्पणियाँ

2. तुलन पत्र

2.1 देयताएं

2.1.1 चालू देयताएं और प्रावधान (अनुसूची-7)

(क) चालू देयताएं: निक्षेप निर्माण कार्य के प्रति प्राप्त अग्रिम: 20.42 करोड़ रु.

आहरण एवं संभरण अधिकारियों द्वारा जमा निर्माण कार्य के रूप में प्राप्त राशि में से किये गये भुगतान, प्राप्तियों से अधिक दर्शाये गये थे। परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं में 4.66 करोड़ रु. के ऋणात्मक शेष सम्मिलित थे, जो कि फलस्वरूप उस राशि की देयता कम करके दर्शायी गयी थी। ऋणात्मक शेष का वेतन एवं लेखाअधिकारियों-वार विवरण निम्नलिखित है:-

(लाख रुपये में)

पी.ए.ओ. का नाम	अथ शेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान भुगतान	अन्तिम बकाया
पी.ए.ओ., डी.डी., चैन्नई	0.13	(-) 3.92	-	(-) 3.80
पी.ए.ओ., आकाशवाणी, कोलकाता	(-) 251.61	-	154.59	(-) 406.20
पी.ए.ओ., डी.डी., नागपुर	19.07	72.58	93.63	(-) 1.98
पी.ए.ओ., आकाशवाणी, मुम्बई	(-) 54.00	-	-	(-) 54.00
पी.ए.ओ., डी.डी., गुवाहाटी	-	0.99	1.15	(-) 0.16
			कुल	(-) 466.14

ऋणात्मक शेषों की जाँच पड़ताल एवं उनमें सुधार करने की तुरन्त आवश्यकता है। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि भारत सरकार के लेखों में जमा कार्य तथा सुरक्षा जमा/जमानती राशि शीर्षों के अन्तर्गत ऋणात्मक शेषों का बकाया पड़े रहने के कारण एकत्रित हुये, बकायों का हस्तान्तरण नहीं किया गया था। मुख्य नियंत्रक लेखा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से शेषों के स्थानान्तरण करने के लिए निवेदन किया गया था। ऋणात्मक शेषों के प्राप्त होने के पश्चात् ऋणात्मक शेषों का निपटान कर दिया जायेगा।

2.1.1.2 चालू देयताएं - जमा, बयाना राशि, जमानती राशि/सुरक्षा जमा 127 करोड़ रु.

(i) इस देयता में पी.ए.ओ. आकाशवाणी नई दिल्ली द्वारा सूचित 28.72 लाख रु. की प्राप्ति शामिल थी और जिन्हें प्रसार भारती के लेखाओं में एफ.डी.आर. शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया था। सूची बैंकों की जमा लेखाओं (केनरा बैंक) के सूची 11 में चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम आदि को देयताओं को उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत दिखाने के बजाए इस 28.72 लाख रु. की प्राप्तियों को, बैंक शेषों के शीर्ष के अंतर्गत घटाकर दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप देयताओं तथा परिसम्पत्तियों को 28.72 लाख रु. से अधिक बताया गया है। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि वित्तीय वर्ष 2003-04 के लेखाओं में आवश्यक सुधार कर लिया गया है।

(ii) बाहरी पार्टियों को वापस देय जमानत राशि/सुरक्षा जमा राशि 98.42 लाख रुपये को देयता में शामिल किया गया था। 2001-02 वर्ष के लेखाओं को समेकित करना तथा तैयार करने हेतु वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं की संवीक्षा से ज्ञात हुआ है कि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्राप्त राशि में से किया गया भुगतान जमानती/सुरक्षा

जमा के रूप में जमा की गई राशि से अधिक था। फलस्वरूप चालू देयताओं में 4.19 करोड़ रूपये ऋणात्मक शेषों को शामिल करने के कारण देयताओं को उतनी राशि से कम बताया गया था। ऋणात्मक शेष का वेतन एवं लेखाअधिकारियोंवार विवरण निम्नलिखित है:-

(लाख रू. में)

पी.ए.ओ. का नाम	आरम्भिक बकाया	प्राप्तियाँ	भुगतान	अन्तिम बकाया
पी.ए.ओ. आ.वा. नई दिल्ली	66.03	392.07	500.34	(-) 42.24
पी.ए.ओ. आ.वा. चैन्नई	(-) 40.58	-	117.08	(-) 157.66
पी.ए.ओ. आ.वा. लखनऊ	0.18	45.67	58.58	(-) 12.73
पी.ए.ओ. दूरदर्शन, कोलकाता	0.02	0.29	144.30	(-) 144.00
पी.ए.ओ. दूरदर्शन, चैन्नई	(-) 39.16	-		(-) 39.16
पी.ए.ओ. आ.वा. कोलकाता	(-) 35.39	17.86	-	(-) 17.53
पी.ए.ओ. दूरदर्शन, नई दिल्ली	-	-	6.14	(-) 6.14
			जोड़	(-) 419.46

ऋणात्मक बकायों की जांच पड़ताल एवं उनमें सुधार की तुरन्त आवश्यकता है। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि सरकार के लेखे में पड़े 'जमा कार्य' और जमानती राशि/सुरक्षा जमा शीर्ष के अन्तर्गत एकत्रित हुए बकायों को हस्तान्तरण करने के कारण ये ऋणात्मक शेष थे। मुख्य लेखा नियंत्रक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्रसार भारती ने हस्तांतरण करने के लिए निवेदन किया था। ऋणात्मक शेषों की बकायों की प्राप्ति होने के पश्चात् निपटान कर दिया जायेगा।

2.1.1.3 अन्य चालू देयताएं - वेतन एवं मजदूरी, इत्यादि से वसूली - 21.31 करोड़ रू.

उपरोक्त में निम्नलिखित शामिल है:-

(i) वर्ष 2000-2001 के दौरान आयकर के 1.19 करोड़ रू. आयकर के विरुद्ध जमा कराने हेतु स्टेशन निदेशकों से वसूल किये गये और 78.86 लाख रू. आयकर अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध जमा नहीं कराये गये थे। इन देयताओं का निपटान न करना आयकर नियमों के विरुद्ध था। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) में ऐसा प्रतीत होता था कि लेखाओं में गलत वर्गीकरण हुआ तथा मामला संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारियों के साथ उठाया गया था।

(ii) 2.01 करोड़ रूपये आकाशवाणी के स्टाफ के मकान किराये/लाइसेंस शुल्क से सम्बन्धित थे। क्योंकि यह देयता किसी भी बाहरी एजेन्सी/पार्टी को भुगतान नहीं की जानी थी, 2.01 करोड़ रूपये की सम्पूर्ण राशि प्रसार भारती की आय के रूप में दर्शायी जानी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप देयता 2.01 करोड़ रू. से अधिक दिखाई गई थी और आय 2.01 करोड़ रू. से कम दर्शाई गई। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि 2003-04 के लेखाओं में सुधार कर लिया गया था।

(iii) सरकार की ओर से देय वसूलियां (आयकर शामिल करते हुए) 1.58 करोड़ रू. की एक निवल देयता बनती थी। सरकार की ओर से वसूलियों का प्रेषण वसूलियों से अधिक था जो गैर प्राप्तियों/वसूलियों का गैर-लेखाकरण लेखाओं में गलत वर्गीकरण को इंगित करता है।

(लाख रु. में)

पी.ए.ओ. का नाम	लेखा शीर्ष	1.4.2001 को अथ शेष	प्राप्तियाँ	प्रेषण	31.3.20 को अन्तिम शेष
पी.ए.ओ. दूरदर्शन नई दिल्ली	सरकार की ओर से वसूलियाँ	-	8.64	40.54	(-) 31.90
- वही -	ठेकेदार से आयकर	(-) 144.78	-	-	(-) 144.78
पी.ए.ओ. आकाशवाणी, चैन्नई	- वही -	(-) 13.34	-	-	(-) 13.34
- वही -	सरकार की ओर से वसूलियाँ	शून्य	0.07	17.26	(-) 17.19
पी.ए.ओ. दूरदर्शन, चैन्नई	- वही -	(-) 116.95	24.97	29.31	(-) 121.29
पी.ए.ओ. आकाशवाणी, कोलकाता	ठेकेदार से आयकर	(-) 39.25	-	-	(-) 39.85
पी.ए.ओ. दूरदर्शन, कोलकाता	सरकार की ओर से वसूलियाँ	(-) 3.02	(-) 43.29	-	(-) 46.31
				कुल	(-) 414.66

ऋणात्मक बकायों का समाधान करने हेतु अत्यधिक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि मामला सम्बन्धित वेतन एवं लेखाअधिकारियों को त्रुटियों के सुधार करने हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

(iv) आय और व्यावसायिक कर सहित सरकार की ओर से वसूलियों से सम्बन्धित 1.58 करोड़ रुपये जो सरकारी खाते में प्रेषित होने थे, निम्नलिखित आठ पी.ए.ओ. द्वारा समुचित निधि होने के बावजूद भी प्रेषित नहीं किये गये।

(लाख रु. में)

पी.ए.ओ. का नाम	देयता प्रभारित नहीं की गई
पी.ए.ओ. आकाशवाणी, नई दिल्ली	49.03
पी.ए.ओ. आकाशवाणी, लखनऊ	3.80
पी.ए.ओ. आकाशवाणी, कोलकाता	1373.10
पी.ए.ओ. दूरदर्शन, गुवाहाटी	644.78
पी.ए.ओ. दूरदर्शन, नागपुर	3.97
पी.ए.ओ. दूरदर्शन, मुम्बई	3.80
पी.ए.ओ. एफ.डी., मुम्बई	69.32
पी.ए.ओ. दूरदर्शन, कोलकाता	0.30
जोड़	2148.10

वर्ष 2001-02 के दौरान वेतन एवं लेखाअधिकारी, दूरदर्शन कोलकाता, दूरदर्शन गुवाहाटी, दूरदर्शन नागपुर, दूरदर्शन मुम्बई तथा वंतन एवं लेखाअधिकारी, आकाशवाणी, नई दिल्ली, ने सरकारी लेखाओं में राशि का प्रेषण नहीं किया था। सरकार की ओर इन में वसूलियों को भी वसूली नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त 2001-02 के दौरान सरकार की ओर वेतन एवं

लेखाधिकारी आकाशवाणी, नई दिल्ली, वे.ले.अ.आ.वा., चैन्नई, वे.ले.अ.दू.द., गुवाहाटी, वे.ले.अ.दू.द., नागपुर, वे.ले.अ.ई.डी., मुंबई तथा इरला, नई दिल्ली में अपने लेखाओं में किसी भी वसूली को नहीं दर्शाया था।

प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि आ. एवं वि. अधिकारियों को वर्ष 2001-02 के दौरान सकल आधार पर निधि दे दी गई थी और उनका वसूलियों का वे.ले. अधिकारियों को चैक/डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा प्रेषण करने को कहा गया था। इस प्रकार से वसूलियों को लेखाओं में नहीं दर्शाया गया क्योंकि चैकों का आहरण कर्मचारियों के निवल वेतनों के साथ किया गया था। देयताओं को निपटान करने का कारण या तो निधि की कमी था या फिर लेखाओं में गलत वर्गीकरण। वे.एवं ले. अधिकारियों से विवरण भेजने को कहा गया था।

2.1.1.4 चालू देयताएं - विविध देनदार - अन्य 3.21 करोड़ रुपये

प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं के भुगतान पक्ष में उपरोक्त दर्ज राशि को 'अन्य विविध-भुगतान-अन्य पाटियाँ तथा विभागीय अग्रिम' शीर्ष के अन्तर्गत समायोजन के रूप में दर्शाया गया था। इस प्रकार तुलन पत्र की देयता के 'विविध देनदार' शीर्ष के अन्तर्गत गलत दर्ज करने के परिणामस्वरूप देयता की 3.21 करोड़ रु. से अत्योक्ति हुई।

प्रसार भारती ने बताया (दिसम्बर 2005) कि 3.21 करोड़ रु. की देयता में से 1.79 करोड़ रूपयों की राशि भुगतान पक्ष में समायोजन के विरुद्ध थी। 1.42 करोड़ रुपये अभी विभागीय अग्रिमों के विरुद्ध समायोजन होना बाकी थे।

2.1.1.5 प्रावधान शून्य रु.

(i) इसमें 4258.08 करोड़ रु. के सरकारी ऋण पर 7 प्रतिशत की दर से 318.93 करोड़ रु. ब्याज शामिल नहीं था। यह मामला प्रसार भारती द्वारा सरकार के साथ माफ करने हेतु अनुसूची 25 की टिप्पणी-5 के माध्यम से आगे उठाया गया है। अभी तक सरकार ने प्रसार भारती के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है।

(ii) इसमें 281.35 करोड़ रुपये के सरकारी ऋण पर 14.5 प्रतिशत के ब्याज की दर से 30.47 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल नहीं था। निगम के इस ऋण को ब्याज मुक्त करने के अनुरोध को सरकार ने अभी तक (नवम्बर 2004) स्वीकार नहीं किया था।

(iii) लेखाओं में अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास का तथा अनुपयुक्त तथा संदेहास्पद ऋणों का भी प्रावधान नहीं किया गया है। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि इस ने नकदीकरण को अपनाया था अतः मूल्यहास का लेखा में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास प्रभारित करना होता है।

2.1.2 कारपस/पूजीगत निधि (अनुसूची-1)

सहायता अनुदान 911.77 करोड़ रु.

930.13 करोड़ रु. की संस्वीकृत अनुदानों के विरुद्ध सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के शीर्ष के अंतर्गत केवल 911.77 करोड़ रु. की प्राप्ति ही दर्शायी गई जिसके परिणामस्वरूप आय को तथा इसी प्रकार कारपस/पूजीगत निधि को 18.36 करोड़ रुपये तक कम बताया गया। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि 2002-03 वर्ष के लेखाओं में त्रुटियों को ठीक कर लिया गया था।

2.2 परिसम्पत्तियाँ

2.2.1 अचल सम्पत्ति (अनुसूची-8) 5052.88 करोड़ रुपये

प्रसार भारती के 31.3.2002 के तुलन पत्र में 5052.88 करोड़ रुपये मूल्य की परिसम्पत्तियाँ निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत दर्शायी गई है।

क्र.सं.	शीर्ष	लाख रूपयों में
1.	संयंत्र/मशीनरी एवं उपकरण (क) प्रसारण स्थल (ख) संचारी (ग) अन्य	159289.09 256391.25 7721.32
2.	वाहन	42.65
3.	फर्नीचर और फिक्सचर	158.71
4.	कार्यालय उपकरण	256.86
5.	अन्य अचल परिसम्पत्ति - विभिन्न योजनाओं पर पूँजीगत व्यय	81428.30
	योग	505288.18

सामान्य वित्तीय नियमों के अन्तर्गत, फार्म सा.वि.नि.19 में अनुरक्षित किये जाने वाले अपेक्षित कोई भी केन्द्रीय सम्पत्ति रजिस्टर प्रसार भारती द्वारा अनुरक्षित नहीं किये गये थे। सम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में 5052.88 करोड़ रु. के मूल्य की सम्पत्ति की औचित्यता लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं की जा सकी। प्रसार भारती ने बताया (अप्रैल 2004) कि आकाशवाणी/दूरदर्शन नियमावली में दिये गये नियमों के अनुसार क्षेत्रीय इकाई द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्ट्रों को अनुरक्षित करना होता है। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि केन्द्रीय रजिस्टर के बिना, जो आंकड़े तुलन पत्र में दर्शाये गये उनकी प्रमाणिकता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि वर्तमान अनुदेशों के अनुसार स्टेशनों को कहा गया था कि परिसम्पत्ति रजिस्टर को अनुरक्षित करना जारी रखे। प्रसार भारती 'स्थायित्व में ऋण' के रूप में स्थानान्तरित 4258 करोड़ रूपयों की परिसम्पत्तियों को सत्यापित तभी किया जा सकता है जब सभी स्टेशनों के प्रोफार्म लेखे पूर्ण हो जायं। भूमि एवं भवन के लिए केन्द्रीय परिसम्पत्ति रजिस्टर की अनुसूचना की सम्भावना पर विचार किया गया था।

2.2.2 विविध देनदार - शून्य रु.

इसमें 31.3.2002 को विभिन्न पार्टियों से प्राप्य राशि सम्मिलित नहीं की गई जिसका विवरण यूनिट से एकत्रित नहीं किया गया और न ही एकीकृत/समेकित कर लेखा प्रस्तावों में दर्ज करके प्रसार भारती के अन्तिम लेखाओं में सम्मिलित किया गया था। प्रसार भारती द्वारा उपलब्ध कराई सेवाओं के बदले में विभिन्न पार्टियों से वसूली योग्य राशि दर्शाई जानी चाहिये। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि लेखे रोकड़ आधार पर बनाए जा रहे थे। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि निगम की निति सामान्यतया स्वीकार्य लेखाकरण नियमों के साथ मेल नहीं खाती है।

2.2.3 चालू परिसम्पत्तियां, ऋण और अग्रिम आदि (अनुसूची-11)

2.2.3.1 चालू परिसम्पत्तियाँ - अनुसूचित बैंकों में शेष - चालू खातों में 47.65 करोड़ रुपये एवं संग्रहण खातों में 5.89 करोड़ रु.

वर्ष 2001-02 में प्रसार भारती द्वारा निम्नलिखित बैंक खातें परिचालित किये जा रहे थे। तथापि कारपोरेट मुख्यालय ने संबंधित लेखांकन अभिलेखे जैसे कि खातानुसार रोकड़ पुस्तक, लेखानुसार लेजर, दैनिकी पुस्तक, सामान्य खाता, लेखानुसार मासिक बैंक समाधान विवरणी आदि अनुरक्षित नहीं किये थे। बैंक समाशोधन नहीं किया गया था और असमाशोधित आंकड़ों को प्रसार भारती के 2001-02 वर्ष के अन्तिम लेखाओं में शामिल नहीं किया गया था।

क्र.सं.	बैंक का नाम	चालू खाता सं.	लेखे का नाम	संयुक्त रूप से परिचालित
1.	केनरा बैंक	1657	खेल लेखे (प्राप्ति लेखा)	जी.एम.(बी.और ए.)एवं जी.एम. (पी.)
2.	भारतीय स्टेट बैंक	01000503122	प्राप्ति लेखा	जी.एम.(बी.और ए.)एवं जी.एम. (पी.)
3.	भारतीय स्टेट बैंक	01000503120	प्राप्ति लेखा	जी.एम.(बी.और ए.)एवं जी.एम. (पी.)

प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि रिकार्ड तैयार किया जा रहा था।

2.2.3.2 चालू परिसम्पत्तियाँ-बैंक शेष-अन्य विभिन्न कार्यालयों में-159.58 करोड़ रु.

(i) वर्ष 2001-02 के लिए बैंक खर्चा लेखाओं से संबंधित बैंक समाशोधन विवरणी वे.ले.अ. द्वारा जनवरी एवं फरवरी 2004 में प्राप्त किये गये थे जब प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं को समेकित कर लिया और कारपोरेट मुख्यालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था। वितरण एवं आहरण अधिकारियों के अन्तिम कुछ शेषों को, अनुमोदित अन्तिम लेखाओं में गलत ग्रहण कर लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 2.62 करोड़ रु. (7 मामलों में) की न्यूनोक्ति हुई तथा (5 मामलों में) अन्तिम शेषों को 1.72 करोड़ रु. अधिक बताया (क) बैंक लेखो (अन्य कार्यालय)।

(ii) वे.ले.अ. आकाशवाणी, नई दिल्ली से संबंधित कालातित बैंकों को निरस्त नहीं करने के कारण 6.84 लाख रुपये की न्यूनोक्ति हुई थी। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि वितरण एवं आहरण अधिकारियों से बैंक समाशोधन विवरणियाँ प्राप्त नहीं होने के कारण वे.ले.अधिकारियों द्वारा कालातीत बैंकों के स्तर एवं परिमाण की जांच नहीं की गई थी।

(iii) बैंक खातों की सत्यता एवं यथार्थता की जांच करने हेतु बैंक द्वारा उपलब्ध कराई बैंक विवरण के साथ पासबुक में बकाया किसी भी तिथि को बकाया से बैंक कालम की रोकड़ बही की उस तिथि से बकाया का मेल खाना चाहिए। प्रसार भारती ने अपने परिपत्र सं.न.पी.बी.(बी)(1)/डी.जी.एम.(बी एण्ड ए) दिनांक 20.2.2001 के द्वारा यह अनुदेश जारी किये और इस बात पर बल दिया कि मासिक आधार बैंक समाधान तैयार किये जायें और उनको प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं के साथ प्रेषित करें। परन्तु किसी भी वेतन एवं लेखा अधिकारी के कार्यालयों ने वर्ष 2001-02 में बैंक समाधान विवरण नहीं प्रस्तुत किया। अतः उपरोक्त लेखाओं में दर्शाये गये 159.58 करोड़ रु. बैंक बकायों की शुद्धता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि आ. एवं स.अ. तथा वे. एवं ले. का. से बैंक समाशोधन विवरणी प्राप्त करने के भरसक प्रयास किये जा रहे थे।

(iv) वर्ष 2001-02 के लेखाओं में सात वेतन एवं लेखा अधिकारियों के कार्यालयों से वे हैं आकाशवाणी, नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, मुम्बई और दूरदर्शन कोलकाता, गुवाहाटी,

नागपुर के प्राप्ति लेखाओं में दर्शाये गये अन्तिम बकायों में उपरोक्त 11.59 करोड़ रु. शामिल थे। प्रसार भारती द्वारा अपने आदेश संख्या पी.बी.(बी सी आई)/डी.जी.एम.(बी एण्ड ए) दिनांक 20.2.2001 से वाणिज्य/गैर वाणिज्य प्राप्तियां को, पृथक बैंक खाता, जिन्हें 'प्राप्ति लेखा' कहते हैं, जिसके पास संचालन शक्ति नहीं है, में जमा कराने हेतु आहरण एवं सम्भरण कार्यालयों को निर्देश दिये गये थे। प्रसार भारती के मुख्य लेखा में प्राप्ति को हस्तांतरण तथा एक जमा विवरण प्राप्ति लेखा निर्धारित फार्मेट में जमाओं और प्राप्तियों का पूर्ण ब्यौरा देते हुए आहरण एवं सम्भरण कार्यालयों द्वारा वेतन एवं लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करना अपेक्षित था। वेतन एवं लेखा अधिकारियों को इसकी एवज में प्राप्तियाँ जो बैंक प्राप्ति लेखों में जमा कराई गई थी, से सम्बन्धित सभी आहरण एवं सम्भरण अधिकारियों जिसकी एक प्रतिलिपि डी जी एम (बी एण्ड ए) तथा एक प्रति दूरदर्शन/आकाशवाणी बजट डिवीजन को भेजी जानी थी, समेकित विवरण तैयार करने का कार्य सौंप दिया था। तथापि ऐसा विवरण, जिसमें प्राप्ति लेखों में जमा की गई राशि तथा प्रसार भारती के मुख्य लेखा में से हस्तांतरण, किसी भी वे.ले.अ. ने प्रसार भारती को प्रस्तुत नहीं किया था। इसके अभाव में वे.ले.अधिकारियों द्वारा दिखाया गया 8.77 करोड़ रुपये जो अन्तिम शेषों में प्राप्ति लेखों के अन्तर्गत शीर्ष के उप पैरा 2.2.5(iv) में उल्लेखित है, लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि आहरण एवं सम्भरण अधिकारी तथा वे.ले.अ. को आय एवं व्यय का बैंक समाधान विवरण तैयार करने को कहा गया था परन्तु अभी क्षेत्रीय ईकाईयों से प्रतीक्षित है जिसके कारण समाशोधन का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

(v) आगे, प्रत्येक वे.ले.अधिकारियों के प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं में प्राप्ति लेखा शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम शेषों में अन्तरों को अवलोकित किया गया था और वे अथ शेष के लेखा में लेने के पश्चात् वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ तथा प्रसार भारती के अपने मुख्य लेखा में राशि का स्थानान्तरण दिखाया जाना चाहिए था। ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(लाख रु. में)						
पी.ए.ओ. का नाम	1.4.2001 के प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के अनुसार अथ शेष	वर्ष 2001-02 के दौरान प्राप्तियाँ	2001-02 के दौरान निधियों को पी बी मुख्य लेखा को हस्तान्तरण	2001-02 के प्राप्ति एवं लेखाओं में दर्शाती अन्तिम शेष	31.3.2002 के लेखाओं के अनुसार अन्तिम शेष	अन्तर
आकाशवाणी मुम्बई	159.61	1810.38	1686.47	283.52	315.83	32.31
आकाशवाणी लखनऊ	4.26	36.18	26.26	14.18	17.57	3.39
आकाशवाणी कोलकाता	50.87	508.14	138.61	420.40	478.96	58.56
दूरदर्शन कोलकाता	21.14	30.81	31.92	20.02	20.71	0.69
दूरदर्शन गुवाहाटी	8.43	26.54	1.87	33.10	30.86	(-) 2.24
दूरदर्शन नागपुर	2.25	10.61	-	12.86	13.00	0.14
			जोड़	784.08	876.93	

इस प्रकार प्रसार भारती ने उपरोक्त अन्तर्षों का समाशोधन किये बिना ही अन्तिम रूप दे दिया। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि मामला संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारियों के साथ उठाया जा रहा था।

2.2.3.3 चालू परिसम्पत्तियाँ: मुख्यालयों/डी.डी.ओ. से/को प्रेषित ट्रांजिट में समाशोधन: 32.20 करोड़ रु.

(i) 2001-02 वर्ष के अथ शेषों के साथ 2000-01 वर्ष के लेखाओं के अन्तिम शेषों में निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत 103.84 करोड़ रुपये का अन्तर सम्मिलित है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(लाख रूपयों में)			
लेखा का शीर्ष	31.3.2001 को अन्तिम शेष	1.4.2001 को अथ शेष	अन्तर
बैंक शेष			
अन्य कार्यालय नकदी	13260.04	2807.83	(-)10452.21
अग्रदाय	70.20	64.70	(-) 5.50
	281.17	354.84	(3) 73.67
जोड़	13611.41	3227.37	10384.04

इसके परिणाम से अग्रदाय को 73.67 लाख रु. से अत्योक्ति बताया तथा 104.52 करोड़ रुपये और 5.50 लाख रूपयों से क्रमशः बैंक शेषों - अन्य कार्यालयों एवं नकदी की न्यूनोक्ति हुई। प्रसार भारती (अप्रैल 2004) लेखाओं में उपरोक्त अन्तर्षों की पुष्टि की और बताया (फरवरी 2005) कि मामला वि.आ.अ. एवं वे.ले.अ. के साथ पत्राचार अधीन था।

(ii) प्रसार भारती के 31.3.2002 को समाप्त हुए प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं में प्राप्ति पक्ष में अन्तिम शीर्ष को, प्राप्तियों की अंतिम शीर्ष में हस्तांतरण की प्रतीक्षा, के अन्तर्गत जिसमें 11.17 करोड़ रुपये शामिल थे दर्शाया गया। उपरोक्त राशि को वे.ले.अ. वार नीचे दिया गया है:

(लाख रूपयों में)	
पी.ए.ओ. डी.डी.दिल्ली	1075.33
पी.ए.ओ. डी डी चैन्नई	17.36
पी.ए.ओ. डी.डी. लखनऊ	23.93

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज की गई राशि, मासिक अन्तिम निम्नलिखित मासों में बैंक/रोकड़ शेषों के बीच के अन्तर को तथा बैंक/नकद के अथ शेषों को दर्शाती है। उपरोक्त शीर्ष में उपरोक्त अन्तर्षों का समायोजन के परिणामस्वरूप परिसम्पत्तियों में 11.17 करोड़ रु. की न्यूनोक्ति हुई। प्रसार भारती ने (अप्रैल 2004) बताया कि संबंधित वे.ले.अ. को उपरोक्त लेखा शीर्ष को समाशोधन करने के लिए कहा गया था। वे.ले.अ. से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् इस राशि का समाशोधन कर लिया जायेगा।

2.2.3.4 उधार एवं अग्रिम - अन्य - रु. 2.96 करोड़

प्रसार भारती के 31.3.2002 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखे में भुगतान पक्ष में 'अन्तरण प्रविष्टि का प्रभाव' शीर्ष के अन्तर्गत 49.36 लाख रु. को शामिल किया गया था। उक्त प्रविष्टि का विवरण एवं प्रकृति कारपोरेट कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी

तथा राशि को सही शीर्ष के लेखे में दर्ज करना शेष था। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि मामला प्रधान लेखा अधिकारियों, डी.डी. नागपुर एवं गुवाहाटी से पत्राचाराधीन था।

3. आय एवं व्यय

3.1 व्यय

3.1.1 ब्याज शून्य रू.

(i) संघ सरकार द्वारा स्वीकृत 4258.08 करोड़ रुपये के 'स्थायित्व में ऋण' पर 7 प्रतिशत की दर से 298.07 करोड़ रू. का ब्याज इसमें शामिल नहीं है। प्रसार भारती ने ब्याज को माफ कराने का मामला सरकार के साथ अनुसूची 25 के अंतर्गत टिप्पणी 5 के अनुसार उठाया है। जो कि अभी तक (नवम्बर 2004) सरकार द्वारा विचाराधीन है। इस मद के लिए लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 318.93 करोड़ रू. की देयताओं की न्यूनोक्ति और 'आय पर अत्यधिक व्यय' की न्यूनोक्ति भी हुई। इसके परिणामस्वरूप इस सीमा तक आय पर अत्यधिक व्यय की न्यूनोक्ति भी हुई।

प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि ऋण पर ब्याज को माफ करने का मामला मंत्रालय के साथ पहले से ही उठाया गया है।

(ii) संघ सरकार से प्राप्त 281.35 करोड़ रुपये के ऋण पर 14.5 प्रतिशत की दर से प्रोदभूत एवं देय 12.66 करोड़ रू. का ब्याज इसमें शामिल नहीं था। प्रसार भारती का इस ऋण को ब्याज मुक्त करने के अनुरोध पर अभी तक (नवम्बर 2004) सरकार ने विचार नहीं किया है। इस मद के लिए लेखों में कोई प्रावधान नहीं है। इसके परिणामस्वरूप 30.47 करोड़ रुपये की देयताओं की न्यूनोक्ति और 'इसी सीमा तक आय पर अत्यधिक व्यय' की न्यूनोक्ति भी हुई।

प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि ऋण पर ब्याज को माफ करने का मामला मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

3.2 आय

3.2.1 अनुदान/परिदान (अनुसूची 13) शून्य रू.

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आय एवं व्यय लेखा विवरणी के प्रोफार्मे के अनुसार संघ सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान प्रसार भारती की आय के रूप में अभिलिखित होने अपेक्षित हैं। तथापि वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये 920.86 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान आय के बजाय संग्रह/पूँजीगत निधि के रूप में माने गये थे। जिसके परिणामस्वरूप 920.86 करोड़ रुपये की 'आय पर व्यय के आधिक्य' की अत्युक्ति हुई। प्रसार भारती के लेखे में 667.96 करोड़ रुपये के 'आय से अधिक व्यय' के बजाय 252.90 करोड़ रुपये को 'व्यय से अधिक आय' के रूप में दर्शाया जाना चाहिये था। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि सरकार द्वारा प्रदान अनुदान अविशिष्ट प्रकृति की पूँजीगत प्राप्तियाँ को क्रेडिट करके संग्रह/पूँजीगत निधि में सीधे रूप से ले लिया गया था और इसे योगदान के प्रोत्साहक के रूप में माना गया था। तथापि आय और व्यय लेखाओं में दर्शाये गये घाटे को सरकारी अनुदान के प्रति समायोजित कर दिया गया था। निवल प्रभाव वैसा ही रहा। तथापि प्रसार भारती ने बताया कि सरकार के अनुदानों के लेखाकरण की पद्धति विचाराधीन थी।

3.2.2 अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा पर अर्जित ब्याज (अनुसूची-17): 35.16 लाख रुपये

(i) वेतन एवं लेखाधिकारी आ.वा., नई दिल्ली के वर्ष 2001-02 के मुख्यालय की प्राप्ति एवं भुगतान लेखाओं के समेकन के साथ जाँच में प्रकट हुआ कि वर्ष 2001-02 में सावधि जमा पर प्रसार भारती को 59.75 लाख रुपये प्राप्त हुए थे। इसमें से 24.59 लाख रुपये बजट अनुभाग को प्रेषित किए गए थे तथा शेष 35.16 लाख रुपये को सावधि जमा पर ब्याज शीर्ष में आय दर्शाया गया था। चूँकि ब्याज की राशि को मुख्यालय को अन्तरित किया गया था। 24.59 लाख रुपये के, बजट अनुभाग को अन्तरण को प्रसार भारती के (1) डिवीजन को अन्तरण के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था न कि ब्याज प्राप्ति से घटाकर। इससे प्रसार भारती के खातों में आय को 24.59 लाख रुपये से कम दर्शाया गया। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि क्योंकि नियंत्रक लेखे के पास कोई प्राप्ति खाता मौजूद नहीं था सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज को बजट अनुभाग को अन्तरित करके निधियों के अन्तरण के परस्पर चालू खाताओं शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया गया था। उनके खातों में प्राप्तियों के वर्गीकृत लेखांकन हेतु बजट अनुभाग सक्षम प्राधिकारी था। उनके लेखाओं से प्रतीत होता था कि इसे अर्जित ब्याज की बजाय विविध प्राप्तियों के रूप में दर्शाया गया था। जिससे आय को कम नहीं बताया गया था। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि अपनाया गया वर्गीकरण गलत था।

(ii) केनरा बैंक में सावधि जमा रसीद के रूप में अथ शेष के रूप में 64.48 करोड़ रु. में 43 करोड़ रुपए की एक सावधि जमा रसीद शामिल थी। प्रसार भारती ने इसे केनरा बैंक में अन्तिम शेष के रूप में जमा नहीं दर्शाया था तथा इसे वर्ष के दौरान परिपक्व होना बताया गया। प्रसार भारती वर्ष 2001-02 में इसकी परिपक्वता तथा इस पर अर्जित ब्याज का विवरण प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रसार भारती के खाताओं में 43 करोड़ रुपये की सावधि जमा पर ब्याज को दर्शाया नहीं गया था। 43 करोड़ रुपये की सावधि जमा पर अर्जित ब्याज को खाताबद्ध न किए जाने के कारण आय पर व्यय के आधिक्य को अधिक करके दर्शाया गया था। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि 43 करोड़ रुपये की सावधि जमा रसीद वर्ष 2001-02 में परिपक्व हो गयी थी लेकिन चूक वश इस पर प्राप्त ब्याज को जमा खाते में क्रेडिट किया गया था वर्ष 2003-04 के खाते में इस त्रुटि को ठीक किया जा रहा था।

4. प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे

4.1 प्राप्तियाँ

4.1.1 प्रसार भारती तथा अन्य कार्यालयों (डी.डी.ओ.) से हस्तांतरण के कारण बकाया: 10.99 करोड़ रु.

यह सभी क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा प्रेषित की गई तथा निगम मुख्यालय को सूचित की गई तथा प्राप्ति लेखे में प्रेषित पाई गई राशियों के बीच का शुद्ध अन्तर है। अन्तर को निगम मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय इकाइयों के साथ समाशोधित नहीं किया गया था। जिसके अभाव में प्राप्तियों एवं भुगतान लेखाओं में दर्शाई गई राशियों की शुद्धता लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकती। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि डी.डी.ओ. से प्राप्ति लेखे के लिए बैंक समाधान विवरणी की प्राप्ति पर अन्तर का पता लगाया जायेगा तथा लेखे में गलत वर्गीकरण, यदि कोई हुआ तो, को ठीक कर दिया जायेगा।

4.1.2 प्रसार भारती तथा अन्य कार्यालयों से हस्तान्तरण के कारण बकाया - प्रसार भारती लेखे: 61.16 करोड़ रु.

यह 2001-02 के दौरान प्रसार भारती के बजट अनुभाग द्वारा निगम मुख्यालय से बाहर स्थित विभिन्न बाहरी इकाईयों को जारी राशि तथा निगम मुख्यालय को सूचित एवं बाहरी कार्यालयों द्वारा दर्ज की गई वास्तविक प्राप्तियों का समेकित योग एवं निगम मुख्यालय को सूचित की गई वापसियों का निवल अन्तर था। उपरोक्त अन्तर को निगम मुख्यालय द्वारा समाशोधित नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखे में दर्शाये गये आंकड़ों की औचित्यता लेखापरीक्षा में जांच नहीं की जा सकी। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि अन्तर वर्ष 2001-02 के अन्तर्गत समय पर जारी राशियों को दर्शाता है। वे. एवं. लेखा का. को आंकड़ों को सम्बद्ध डी.डी.ओ. को साथ समाशोधन करने को कहा गया है।

4.2 भुगतान

4.2.1 प्रसार भारती के प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखों में ऋणात्मक शेष का गैर-समाशोधन

निम्नलिखित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाये शेषों में ऋणात्मक प्रविष्टियाँ दिखाई गई थी जिनका अभी तक समाधान नहीं किया गया था, परिणामतः 3.92 लाख रु. की प्राप्तियों तथा 7.24 लाख रु. के भुगतानों को कम बताया गया था।

(लाख रु. में)

पी.ए.ओ. का नाम: प्राप्तियाँ	लेखों के शीर्ष	राशि
पी.ए.ओ. डी.डी. चैन्नई	अन्य पार्टियों/विभागों से प्राप्त जमा	(-) 3.92

पी.ए.ओ. का नाम: भुगतान	लेखों के शीर्ष	राशि
पी.ए.ओ. आकाशवाणी कोलकाता	वेतन बिलों से कटीती	(-) 2.79
पी.ए.ओ. आकाशवाणी मुम्बई	- वही -	(-) 0.12
पी.ए.ओ. आकाशवाणी कोलकाता	मध्यस्थता भुगतान	(-) 1.51
पी.ए.ओ. आकाशवाणी चैन्नई	स्टॉक पर व्यय	(-) 2.82
	जोड़	(-) 7.24

प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि मामले को सम्बन्धित पी.ए.ओ. के साथ विपरीत शेषों की पूर्ति हेतु उठाया गया है।

4.2.2 बैंक खातों का न दर्शाया जाना - प्राप्तियाँ लेखे तथा व्यय लेखे पृथक रूप से प्रसार भारती के लेखाओं में

प्रसार भारती के क्षेत्राधिकार में प्रत्येक आहरण एवं संभरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) को निधियों के प्रबन्धन हेतु पृथक दो बैंक खातों का अनुरक्षण करना होता है अर्थात् प्राप्ति लेखे तथा व्यय लेखे। जबकि डी.डी.ओ. की सभी प्राप्तियों को (वाणिज्यिक तथा गैर वाणिज्यिक दोनों) को प्राप्ति खाते में जमा किया जाता है जिसे अन्ततः निगम मुख्यालय पर अनुरक्षित प्राप्ति खाते में प्रेषित करना होता है, प्रसार भारती द्वारा डी.डी.ओ. को जारी अनुदानों को व्यय लेखे में जमा किया जाता है तथा सभी भुगतानों को उसमें से किया जाता है। यद्यपि प्रसार भारती के

31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के खातों की संवीक्षा से पता चला कि क्षेत्रीय इकाईयों के प्राप्ति एवं व्यय लेखाओं के अन्तर्गत पड़े बैंक शेषों को लेखाओं में पृथक तौर पर नहीं दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष के अन्त में उपरोक्त खातों में पड़े शेषों का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं हो सका। प्रसार भारती, इन लेखाओं में पड़ी राशियों का पी.ए.ओ. वार वर्गीकृत ब्यौरा भी उपलब्ध नहीं करा सकी। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि एक बार दोनों प्राप्ति एवं व्यय लेखे के लिए बैंक समाधान विवरणी तैयार करने की प्रक्रिया पूरी हो जाय, दोनों खातों का वर्गीकरण भविष्य में लेखों में दर्शाया जायेगा।

4.2.3 अन्त बैंक शेष - आकाशवाणी लेखे: 3.22 करोड़ रु.

प्रसार भारती ने उपरोक्त लेखे के बारे में रोकड़ बही का अनुस्क्षण नहीं किया था। परिणामस्वरूप, आकाशवाणी प्राप्ति लेखे शीर्ष के अन्तर्गत दिखाये गये 3.22 करोड़ रु. के अन्त शेष की औचित्यता का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं हो सका। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि आकाशवाणी प्राप्ति लेखे की रोकड़ बही का निर्माण कर लिया गया है तथा इसे आगामी लेखापरीक्षा के दौरान दिखा दिया जायेगा।

4.2.4 अन्त शेष - बैंक - डी डी प्राप्तियां लेखे: 2.67 करोड़ रु.

प्रसार भारती ने उपरोक्त लेखाओं की रोकड़ बही का अनुस्क्षण नहीं किया था। परिणामस्वरूप, डी.डी. प्राप्ति लेखे शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाये गये 2.67 करोड़ रु. के अन्त शेष की शुद्धता का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि डी डी प्राप्ति लेखाओं की रोकड़ बही का अनुस्क्षण कर लिया गया है तथा इसे आगामी लेखापरीक्षा के दौरान दिखा दिया जायेगा।

5 सामान्य

5.1 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं.3 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें कहा गया है कि संघ सरकार द्वारा परिसम्पत्तियों का स्थानान्तरण का वास्तविक मूल्यांकन एवं सत्यापन होना भी आवश्यक है। इसलिए संघ सरकार द्वारा स्थानान्तरित परिसम्पत्तियों की सूची को दर्शाते हुए एक विवरणी उनकी उस कीमत के साथ जिस पर उनका लेखांकन किया गया है का विशिष्टतः खुलासा करना चाहिए और इसकी एक टिप्पणी अनुसूची 25 के अन्तर्गत लगानी चाहिए। वास्तविक मूल्यांकन तथा सत्यापन के लम्बित होने के तथ्य का खुलासा भी लेखाओं के भाग के रूप में टिप्पणी द्वारा करना चाहिए। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि सूची केवल प्रोफार्मा लेखे पूर्ण होने पर ही पूरी की जायेगी। वास्तविक सत्यापन एवं मूल्यांकन के तथ्य एवं अनिर्णय का खुलासा लेखाओं की टिप्पणी के रूप में किया जाएगा।

5.2 प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1970, के अनुभाग 3(4) के अनुसार, इसके सामान्य अधिक्षण, निर्देश तथा मामलों के प्रबन्धन प्रसार भारती बोर्ड में निहित हैं, जो उन सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और वे सभी क्रियाएं कर सकता है जो इस अधिनियम के तहत प्रसार भारती द्वारा प्रयोग या क्रयान्वित की जाती है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि प्रसार भारती की कोई लेखांकन नियम पुस्तिका नहीं थी। मूल्य निपुण अभिशासन को सुनिश्चित करने हेतु कोई विशिष्ट दस्तावेजी आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली भी नहीं थी। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पारित लेखांकन नीति को ध्यान में रखकर ही लेखाकरण नियम पुस्तिका तैयार की जायेगी।

5.3 सा.वि.नि. के नियम 116(1) के अनुसार, वर्ष में एक बार परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन होना चाहिए, परन्तु प्रसार भारती के पास क्षेत्रीय इकाईयों द्वारा परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन पर कोई सूचना नहीं थी, तथा उसने बताया (अप्रैल 2004) कि क्षेत्रीय इकाईयों से उनके अधिकार में परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन करके उसे एक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित था। रजिस्टर क्षेत्रीय इकाईयों में उपलब्ध थे। परिसम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की सूचना के अभाव में, प्रसार भारती के 31.3.2002 को समाप्त वर्ष के लेखाओं में दर्शाए गए परिसम्पत्तियों के मूल्य का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं हो सका। प्रसार भारती ने आगे बताया (फरवरी 2005) कि क्योंकि परिसम्पत्तियों के संरक्षक क्षेत्रीय इकाईयां थीं, उन्हें मौजूदा इंतजामों के तहत परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन करने तथा प्रमाण पत्र रजिस्टर में दर्ज करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। पहले इस तरह का प्रमाण पत्र क्षेत्रीय इकाईयों द्वारा प्रोफार्मा लेखों में दर्ज किया जाता था। यद्यपि पूर्व प्रथानुसार, प्रतिवर्ष मार्च को प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखों के साथ आ.सं.अ. को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को कहा जायेगा।

5.4 प्रसार भारती इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी कि उसके पास कोई बेकार या अप्रयोज्य परिसम्पत्तियाँ नहीं हैं। इसने बताया (अप्रैल 2004) कि म.नि.आ.वा. तथा म.नि. दूरदर्शन दोनों को ही क्षेत्रीय इकाईयों से सूचना प्राप्त करने की सलाह दी गई है और यह इन कार्यालयों में उपलब्ध होंगी। परिणामतः 5052.88 करोड़ रु. की स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल्य की औचित्यता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। प्रसार भारती ने आगे बताया (फरवरी 2005) कि कार्यालयाध्यक्षकों/विभागाध्यक्षकों को भंडारणों की पहचान करके उनका निपटान करने की शक्तियों से प्रत्यायोजित कर दिया गया है। क्षेत्रीय इकाईयों को भी इस आशय के अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

5.5 लेखाओं पर टिप्पणियाँ

लेखाओं पर टिप्पणियों की मद 11 के अनुसार प्रसार भारती ने वर्णित किया है कि प्रसार भारती के लेखाओं की लेखापरीक्षा हेतु नि.म.ले.प. के शुल्क का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि संवैधानिक लेखापरीक्षकों ने इसका परामर्श नहीं किया था। इस मद को शामिल करना नियमों के अनुसार नहीं है और, जिन मामलों में लेखापरीक्षा नि.म.ले.प.(कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्त) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) तथा 20 के अन्तर्गत की जाती है, उनमें वार्षिक लेखाओं के सत्यापन के लिए शुल्क प्रभारित करना अनिवार्य है।

6. आन्तरिक लेखापरीक्षा

प्रसार भारती के 31.3.2002 के तुलन पत्र के अनुसार 5380.45 करोड़ रु. की परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएँ थीं जिनमें 5052.88 करोड़ रु. की स्थायी परिसम्पत्तियाँ थीं। इसने वर्ष 2001-02 के दौरान भारत सरकार से 930.13 करोड़ रु. के अनुदान और 142.05 करोड़ रु. का ऋण प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त इसने 9.09 करोड़ रु. की अनुदान सहायता स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय तथा अन्य मन्त्रालयों से प्राप्त किये। यद्यपि यह देखा गया था कि प्रसार भारती में कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

प्रसार भारती द्वारा भारत सरकार से प्राप्त की जा रही बड़ी अनुदान राशि तथा इसकी विस्तृत गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, व्यय के परिमाण, गति और औचित्यता निधियों के विषय, आय एवं व्यय के समाशोधन आदि पर निगरानी रखने हेतु एक आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित करने की तुरन्त आवश्यकता है। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) मुख्य नियंत्रक लेखे, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अनुमति से एक दल का गठन

पहले ही किया जा चुका है और एक आन्तरिक लेखापरीक्षा अवसंरचना की स्थापना के इन्तजार के बिना इसने प्रसार भारती के डी.डी.ओ. की आन्तरिक लेखापरीक्षा करना आरम्भ कर दिया है।

7 लेखाओं का फार्मेट

महत्वपूर्ण लेखाकरण नितियों (अनुसूची-24)

इसकी वित्तीय विवरणियों को रोकड़ आधार पर तैयार करने सम्बन्धी लेखाकरण निति सं. 1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। प्रसार भारती की नीति सामान्य तौर पर अपनाये जाने वाले लेखाकरण सिद्धान्तों से मेल नहीं खाती। इसके अतिरिक्त भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित लेखाओं का एक रूप फार्मेट भी लेखाकरण की प्रोदभूत प्रणाली के सिद्धान्तों पर आधारित है।

8. इकाईयों के अभिलेखे प्रस्तुत नहीं किये गये

दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवाएं, नई दिल्ली के अभिलेखे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये थे। 65 डी.डी.ओ. के प्राप्तियों एवं भुगतान लेखे के समेकन से सम्बन्धित अभिलेख वे.ले.का. दूरदर्शन सूचना भवन नई दिल्ली के पास उपलब्ध नहीं थे।

प्रसार भारती निगम मुख्यालय आ.वा.खंड तथा दूरदर्शन खंड के पास मौजूद तथा वर्ष के दौरान उपयोग किये गये कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर से सम्बन्धित विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे। परिणामतः इस तथ्य का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं हो सका। प्रसार भारती ने बताया (फरवरी 2005) कि इन लेखों को वर्ष 2002-03 की लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

9. लेखाओं पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निवल प्रभाव

गत पैराग्राफों में दी गई टिप्पणियों का निवल प्रभाव यह रहा कि 31.3.2002 को परिसम्पत्तियों 115.74 करोड़ रु. से कम दिखाई गई देयताएं 371.11 करोड़ रु. से कम दिखाई गई तथा व्यय की आय के ऊपर अधिकता को 592.08 करोड़ रु. से अधिक दिखाया गया था।

स्थान:- नई दिल्ली
दिनांक:- 6.7.05


महानिदेशक, लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) नई दिल्ली के 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान/आय एवं व्यय लेखे तथा 31 मार्च 2002 के तुलन पत्र की जाँच कर ली हैं।

मैंने, दूरदर्शन वाणिज्यिक सेवाएं, नई दिल्ली के अभिलेखों के लेखाओं तथा 65 डी.डी.ओ के प्राप्तियों एवं भुगतानों के लेखाओं के समेकन से सम्बंधित अभिलेखों तथा प्रसार भारती मुख्यालय आ.वा.खंड तथा दूरदर्शन खंड में उपलब्ध कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर से सम्बन्धित विवरण के अतिरिक्त सभी अपेक्षित सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं

तथा लेखाओं के साथ संलग्न तथा उनके भाग के रूप में स्पष्टीकरणों एवं संलग्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ हैं:

- वर्तमान देयताओं की न्यूनोक्ति - ऋणात्मक शेष को शामिल करने के कारण जमा निर्माण कार्य के विरुद्ध प्राप्त अग्रिमों को 4.66 करोड़ रु. से कम दिखाया गया था (पैरा 2.1.1.1);
- वर्तमान देयताओं की अत्योक्ति - जमा जमानत राशि, बयाना राशि/प्रतिभूति जमा को, एफ.डी.आर. को शामिल करने के कारण 28.72 लाख रु. से अधिक दर्शाया गया था {पैरा 2.1.1.2(i)} ;
- वर्तमान देयताओं की न्यूनोक्ति - ऋणात्मक शेषों को सम्मिलित करने के कारण, जमाओं, जमानत राशि, बयाना राशि/प्रतिभूति जमा के 4.19 करोड़ रु. से कम दिखाया गया पैरा {पैरा 2.1.1.2(ii)} ;
- 1.19 करोड़ रु. तथा 21.48 करोड़ रु. की आयकर देयता को खारिज नहीं किया गया था {पैरा 2.1.1.3(i) तथा (iv)}
- आ.वा. मुख्यालय के किराये/लाइसेंस शुल्क के गलत बुकिंग के कारण 2.01 करोड़ रु. से देयता की अत्योक्ति तथा आय की न्यूनोक्ति हुई {पैरा 2.1.1.3(ii)} ;
- वर्तमान देयता की न्यूनोक्ति - ऋणात्मक शेषों के शामिल होने के कारण, वेतन एवं मजदूरी आदि से वसूली को 4.15 करोड़ रु. से कम दिखाया गया था (पैरा 2.1.1.3);
- वर्तमान देयताओं की अत्योक्ति - गलत वर्गीकरण के कारण विविध देनदारों को 3.21 करोड़ रु. से अधिक बताया गया था (पैरा 2.1.1.4) ;
- अनुदान सहायता को 18.36 करोड़ रु. से कम दिखाया जाना (पैरा 2.1.2);
- परिसम्पत्ति रजिस्टर का अनुक्षण न किया जाना (पैरा 2.2.1);
- मासिक अन्तिम बैंक/रोकड़ शेषों तथा बैंक/रोकड़ के अथ शेष में अन्तर होने के कारण परिसम्पत्तियों को 11.17 करोड़ रु. से कम दिखाया जाना {पैरा 2.2.3.3(ii)} ;
- 920.86 करोड़ रु. की सकल अनुदान के पूंजीकरण के कारण आय की न्यूनोक्ति (पैरा 3.2.1);

- अधिसूचित बैंकों में सावधि जमा के रूप में आय की 24.59 लाख रू. से न्यूनोक्ति {पैरा 3.2.2(i)};
- 43 करोड़ रू. की एफ डी आर पर ब्याज का लेखाकरण न किया जाना {पैरा 3.2.2 (ii)};
- आन्तरिक लेखापरीक्षा का न होना (पैरा 6)।

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर मैं प्रमाणित करता हूँ कि यह लेखे और तुलन पत्र उचित प्रकार से तैयार नहीं किए गये हैं तथा मेरी राय में, मुझे दिये गये तथा प्रसार भारती के अभिलेखों में दर्शाये गये सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार ये प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) नई दिल्ली के कार्यकलापों का सही एवं उचित रूप प्रस्तुत नहीं करते हैं।

स्थान:- नई दिल्ली
दिनांक:- 6.7.05



महानिदेशक, लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) 31.03.2002 को तुलन पत्र

कार्पस/पूँजीगत निधि और देनदारियां	अनुसूची संख्या	रु०	
		31.03.2002 को	31.03.2001 को
कार्पस/पूँजीगत निधि	1	0	1163324448
रिजर्वस् और अधिशेष	2	0	0
उद्दिष्ट/अक्षय निधि	3	7948015535	3588577477
सुरक्षित कर्जे	4	0	0
असुरक्षित कर्जे	5	45394302000	43973802000
आस्थागत जमा देनदारियां	6	0	0
वर्तमान देनदारियां एवं शर्तें	7	462136150	329888462
कुल योग		53804453685	49055592387

परिसंपत्तियां

नियत परिसंपत्तियां	8	50528817535	46169379477
चालू पूँजीगत कार्य	8	0	0
निवेश (1) उद्दिष्ट/अक्षय निधि	9	0	0
(2) अन्य	10	0	0
वर्तमान परिसंपत्तियां, कर्जे, अग्रिम विविध व्यय	11	2608549260	2886212910
आय और व्यय लेखा के अनुसार घाटा		667086890	0
योग		53804453685	49055592387

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24
आकस्मिक देनदारियां और लेखा टिप्पणियां	25

के. प्रम. सर्या
के०एस०सर्मा
सी०ई०ओ०
स्थान : नई दिल्ली

ह.
एस० सुन्द्रेसन
सदस्य (वित्त)

ह.
एम०श्रीधरन
महाप्रबन्धक (बी एण्ड ए०)

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)
वर्ष 2001-02 के लिए आय और व्यय लेखा

	अनुसूची संख्या	रु० 31.03.2002 की स्थिति	रु० 31.03.2001 की स्थिति
आय			
बिक्री और सेवा से आय	12	5635527340	6239780013
अनुदान/आर्थिक सहायता	13	0	0
फीस/अंशदान	14	0	0
निवेश से आय (उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से हस्तांतरित निधि से आय)	15	0	0
रायल्टी, प्रकाशन इत्यादि से आय	16	0	0
अर्जित ब्याज	17	3516120	35281902
अन्य आय	18	54526424	0
तैयार सामान और कार्यप्रगति पर है से संबंधित बढ़ोत्तरी/(घटोत्तरी)	19	0	0
योग -क		5693569884	6275061915
व्यय			
स्थापना व्यय	20	10728665348	10119353731
कार्यक्रमों से संबंधित व्यय	21	1644458816	1578967662
अनुदान/आर्थिक सहायता पर व्यय	22	0	0
ब्याज	23	0	0
मूल्य हास		0	0
योग-ख		12373124164	11698321393
आय से अधिक व्यय के अन्तर का शेष (क-ख)		- 6679554280	-5423259478
घटा: कार्पस/पूंजीगत निधि से हस्तांतरित		6012467390	-5423259478
जमा : पिछले वर्ष से अग्रेनीत इतिशेष घटा होने के कारण तुलनपत्र में ले जाया गया शेष		0	0
		-667086890	-
मुख्य लेख नीतियाँ	24		
आकस्मिक देनदारियाँ और लेखा टिप्पणियाँ	25		
क. एस. सदा के०एस० समा सी०ई०ओ० स्थान : नई दिल्ली		ह. एस०सुन्दरेसन सदस्य (वित्त) दिनांक :	ई. एम०श्रीधरन महाप्रबन्धक (बी०एण्ड ए०)

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)
31.03.2002 के तुलन पत्र निर्माण की अनुसूचियाँ

अनुसूची-1-कार्पस/पूँजीगत निधि:

	रुपए 31.03.2002 को	रुपए 31.03.01 को
वर्ष के प्रारंभ में शेष		
जमा: वर्ष के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान (योजना)	1163324448	552112508
जमा: वर्ष के दौरान, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान (गैरयोजना)	9117700000	8899362695
जमा: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों से प्राप्त सहायक अनुदान (अनुसूची-25 लेखा टिप्पणी-3 देखें)	-	709600000
घटाव : पूँजीगत आस्तियाँ निधि की हस्तान्तरण	90881000	14086200
	<u>4359438058</u>	<u>3588577477</u>
कार्पस/पूँजीगत निधि शेष आय और व्यय लेखा में निवल व्यय (घटा) के साथ समायोजित	6012467390	6586583926
	6012467390	-5423259478
वर्ष के अंत में शेष	-	1163324448

अनुसूची 2-आरक्षित एवं अधिशेष

1. पूँजीगत आरक्षित अन्तिम लेखे के अनुसार वर्ष के दौरान शामिल	-	-
2. सामान्य आरक्षित अन्तिम लेखे के अनुसार वर्ष के दौरान शामिल	-	-
घटाव : वर्ष के दौरान घटाव	-	-

अनुसूची-3 उददिष्ट/अक्षय निधियाँ

पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ/निधियाँ		
क- निधियों का अथ शेष	3588577477	0
ख- निधियों में जमा : पूँजीगत व्यय/अग्रिम खर्च के लिए कार्पस/पूँजीगत निधि से हस्तांतरित राशि	<u>4359438058</u>	<u>3588577477</u>
वर्ष के अन्त में निवल शेष (क + ख)	<u>7948015535</u>	<u>3588577477</u>

अनुसूची-4 सुरक्षित कर्जे और उधार

अनुसूची 5- असुरक्षित कर्जे

	रुपए	रुपए
1. शाश्वत कर्जे इनके ब्याज को माफ कराना (संदर्भ अनुसूची 25-लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी-4)	42580802000	42580802000
2. केन्द्र सरकार	2813500000	1393000000
योग	45394302000	43973802000

नोट : एक वर्ष के दौरान देय राशि(शून्य)

अनुसूची-6 आस्थगित देनदारियाँ:

अनुसूची-7 वर्तमान देनदारियाँ और
उपबंध

क- वर्तमान देनदारियाँ प्राप्त अग्रिम निक्षेप कार्य के बदले	204224596	150298817
निक्षेप, बयाना, अवधान दृव्य/प्रतिभूति जमा	12713649	9619663
अन्य वर्तमान देनदारियाँ-वेतन और मजदूरी इत्यादि से वसूली	213147752	169969982
विविध ऋण दाता-अन्य	32050153	0
योग-क	462136150	329888462
ख- प्रावधान	0	0
योग-ख	0	0
योग क+ ख	462136150	329888462

**प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)
31.03.2002 के तुलन पत्र निर्माण की अनुसूचियाँ**

अनुसूची-6 नियत परिसम्पत्तियाँ

विवरण	सकल ब्यय		मूल्य ह्रास		नेट ब्यय			
	1.4.01 को लागत	वर्ष के दौरान किविल विन्ग से परिवर्धन हस्तांतरण	वर्ष के दौरान कटीती/ हस्तांतरण पुनः वर्गीकरण	वर्ष के अन्त में लागत 31.03.02	वर्ष के लिए	वर्ष तक संचयी	31.03.2002 को	31.03.2001 को
अ-नियत परिसम्पत्तियाँ								
1. भूमि								
2. भवन आदि								
3. संचयन मशीनरी और उपस्कर								
क-स्टूडियो	15359607467	569301123	-	15928908590	-	0	15928908590	15359607467
ख-ट्रान्समीटर	22508262985	3130881610	-	25639124595	-	0	25639124595	22508262985
ग-अन्य	147642787	624488916	-	772131703	-	0	772131703	147642787
4. वाहन	307260	3957620	-	4265080	-	0	4265080	307260
5. फर्नीचर, जुड़नार	6368069	9503307	-	15871376	-	0	15871376	6368069
6. कार्यालय उपस्कर	10011744	15673997	-	25689741	-	0	25689741	10011744
7. अन्य नियत परिसम्पत्तियाँ								
कैपिटल व्यय योजना								
वर्तमान वर्ष का योग(अ)	8137179165	5651285	-	8142830450	-	0	8142830450	8137179165
ब-प्रगति पर पूंजीगत कार्य योग (ब)	46169379477	4359438058	-	50528817535	-	0	50528817535	46169379477
योग	46169379477	4359438058	-	50528817535	-	0	50528817535	46169379477
पिछले वर्ष	42580802000	3588577477	-	46169379471	-	0	46169379477	-

वर्ष के दौरान किए गए योगों में हासिल की गई नियत परिसम्पत्तियाँ शामिल हैं सरकार से प्राप्त अनुदान 4359438058 रु० (लेखा टिप्पणियों की अनुसूची 25 टिप्पणी-6 देखें)

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)
31.03.2002 के तुलन पत्र निर्माण की अनुसूचियाँ

अनुसूची-9 उददिष्ट/अक्षय निधि से निवेश	रुपए 31.03.2002 की स्थिति	रुपए 31.03.2001 की स्थिति
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	0	0
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियाँ	0	0
3. अन्य	0	0
योग	0	0
अनुसूची 10-निवेश अन्य		
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	0	0
2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में	0	0
3. अन्य	0	0
योग	0	0
अनुसूची 11 वर्तमान आस्तियाँ, कर्जे और अग्रिम इत्यादि		
क- वर्तमान आस्तियाँ		
वस्तु सूचियाँ		
विविध कर्जदार		
नकद शेष	46591400	35137200
बैंक में शेष राशि :		
अ) अनुसूचित बैंको में		
चालू खातों में	476490953	661068659
संग्रहण खातों में	58929279	20844012
केनरा बैंक के जमा खाते	77966988	644786220
विभिन्न कार्यालयों में	1595811038	1326004264
ब) मुख्यालय/पारवहन डी0डी0ओ0/समायोजन से जमा	321966298	191147648
योग (क)	2577755956	2878988003

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)
31.03.2002 के तुलन पत्र निर्माण की अनुसूचियाँ

	रुपए 31.03.2002 की स्थिति	रुपए 31.03.2001 की स्थिति
ख-कर्जे/अग्रिम		
1. कर्जे/अग्रिम		
कर्मचारी	60039	60039
अन्य	29597469	6029072
उचंत खाते	1135796	1135796
2. अग्रिम और नकद माल या कीमत के रूप में वसूल की जाने वाली राशि	0	0
पूँजीगत खातों पर	0	0
पूर्वभुगतान	0	0
अन्य	0	0
3. प्रोदभूत ब्याज		
उददिष्ट अक्षय निधि से निवेश	0	0
अन्य निवेश	0	0
अन्य	0	0
4. वसूली योग्य दावे योग (ख)	<u>307993304</u>	<u>7224907</u>
योग क + ख	<u>2608549260</u>	<u>2886212910</u>
अनुसूची-12-बिक्री/सेवा से आय		
सेवा से आय		
आकाशवाणी, विज्ञापन और दूरदर्शन	5635527340	6239780013
योग	5635527340	6239780013
अनुसूची-13 अनुदान/इमदाद		
1. केन्द्र सरकार	0	0
2. राज्य सरकार	<u>0</u>	<u>0</u>
योग	<u>0</u>	<u>0</u>
अनुसूची-14 फीस/अंशदान	0	0
अनुसूची-15 निवेश से आय		
आवधिक जमा पर ब्याज	उददिष्ट निधि से निवेश	अन्य निवेश
योग		
अनुसूची-16 रायल्टी प्रकाशन इत्यादि से आय	0	0
अनुसूची-17 अर्जित ब्याज		
अनुसूचित बैंकों की मियादी जमा से	<u>3516120</u>	<u>35281902</u>
योग	<u>3516120</u>	<u>35281902</u>
अनुसूची-18 अन्य आय	<u>54526424</u>	<u>0</u>
योग	<u>54526424</u>	<u>0</u>

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)

31.03.2001 के समाप्त वर्ष की आय और व्यय पत्र निर्माण की अनुसूचियाँ

अनुसूची-19 तैयार सामान और कार्य प्रगति पर
है से संबंधित बढ़ोत्तरी (घटोत्तरी)

अनुसूची-20-स्थापना एवं अन्य प्रशासनिक व्यय	रूपए		रूपए	
	31.03.02 योजना	31.03.02 गैर योजना	31.03.01 योजना	31.03.01 गैर योजना
अन्य मंत्रालयो/विभागों से जी०आई०ए० का भुगतान	0	17229368	0	3707847
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण व्यय	5253623	83275676	11037131	73481046
निर्देशन और प्रशासनिक व्यय	62303127	883288180	59550588	393391069
प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय	270970228	2276428030	162443624	2165879673
योजना एवं विकास व्यय	16833677	149283639	18111779	132360392
कार्यक्रम सेवा व्यय	313737239	5396326856	1021601626	5512178001
व्यवसायिक सेवा भुगतान	330995487	529634038	24676575	574323809
विज्ञापन और प्रचार	734296	9077287	2250934	432810
बैंक प्रभार	0	0	0	422000
पेन्शन संबंधी प्रभार	0	409718000	0	0
छुट्टी वेतन अंशदान	0	0	0	0
उपभोज्य अभियांत्रिकी भण्डार	0	123609398	0	6545256
घटा : नियत परिसम्पत्तियों से प्रभारित	0	-150032801	0	-43040429
पूँजीगत व्यय योग	1000827677	9727837671	1299672257	8819671474

अनुसूची-21 कार्यक्रम संबंधी व्यय

रायल्टी	4947577	178593946	0	53778937
पी०टी०आई०/यू०एन०आई० को भुगतान	0	1132777243	0	89596974
कार्यक्रम साफ्ट वेयर लगाने का व्यय	542330643	0	10919000	1839965
पैनम सेटलाईट व्यय	330604554	0	277741186	0
खेलों पर व्यय	0	474704853	0	1145091600
योग	877882774	766576042	288660186	1290307476

अनुसूची-22 इमदाद अनुदान पर व्यय

- -

अनुसूची-23- ब्याज

कर्जे पर ब्याज-केन्द्र सरकार	0	0
शाश्वत कर्ज पर ब्याज	0	0
कु ल ब्याज	0	0

(संदर्भ अनुसूची-25, लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी 4 और 5)

अनुसूची 24-महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा पद्धति-

निगम की नीति है कि वह अपनी लेखा विवरणियां रोकड़ पावती और संवितरण आधार पर तैयार करे। इस आधार पर राजस्व और संबंधित परिसम्पत्तियों का रिकार्ड, अर्जित करने के बजाए उन्हें प्राप्त होने पर किया जाता है तथा व्यय का रिकार्ड बंधन उठाने के बजाए उन्हें भुगतान करने के समय पर किया जाता है।

2. वस्तु सूची का मूल्यांकन

भंडार और पुर्जो(मशीनी पुर्जे शामिल) का मूल्यांकन उनकी कीमत पर किया जाता है।

3. नियत परिसम्पत्तियाँ

नियत परिसम्पत्तियों में प्रसार भारती को हस्तांतरित परिसम्पत्तियों की हस्तांतरण राशि आती है और तदानुरूप जमा राशि में "शाश्वत ऋण" आता है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा ली गई विभिन्न योजनाओं पर पूंजीगत व्यय के संबंध में सभी संबंधित और सह-व्यय पूंजीगत है।

केन्द्र सरकार द्वारा परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण वास्तविक मूल्यांकन और सत्यापन के अधीन है।

4. मूल्यहास पद्धति

मूल्यहास का प्रावधान नहीं है

5. विदेशी मुद्रा का संचालन

विदेशी मुद्रा के संचालन का हिसाब संचालन तिथि को विद्यमान विनिमय दर से किया जाता है।

अनुसूची 25 लेखा और आकस्मिक देनदारियों पर टिप्पणियाँ
लेखा टिप्पणियाँ :
लेखा अनन्तिम है तथा इसकी सी०ए०जी० द्वारा लेखा परीक्षा होनी
है

1. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) की स्थापना एक आम लोक उपयोगी संस्था के रूप में की गई है, तथा यह "लाभ के लिए नहीं संगठन" के अन्तर्गत आता है। तदनुसार आम स्वीकार्य लेखा पद्धतियों पर आधारित और आयकर अधिनियम की धारा 145 के अनुसार यह निगम लेखा की रोकड़ या वाणिज्य पद्धति अपना सकता है।

संगठन की संरचना, पूर्व में प्रयोग होने वाली पद्धतियों और सरलता के पहलू को ध्यान में रखते हुए लेखा की रोकड़ पद्धति अपनाई गई है। इस पद्धति के अन्तर्गत राजस्व अनुदान या दान का रिकार्ड रोकड़ संग्रह पर होता है इसी तरह कार्य सम्पन्न करने के दौरान परिसम्पत्तियों के अर्जन और रख रखाव का व्यय तथा कर्मचारियों का वेतन और अन्य वस्तुओं का रिकार्ड उनका भुगतान करते समय किया जाता है। आय और व्यय लेखा और उसका तुलन पत्र नकद पावती और भुगतान के आधार पर होता है।

वित्तीय विवरणी तैयार करते समय लेखा मानकों को लागू करने के मुद्दे का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया गया :-

- 0 प्रसार भारती प्रसारण निगम को कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है
- 0 आई०सी०ए०आई० द्वारा जारी लेखा मानक, संस्थान के सदस्यों को आई०सी०ए०आई० द्वारा समय समय पर जारी सुसंगत घोषणा के अनुसार उनकी परिसम्पत्तियों के निष्पादन के लिए अनिवार्य

उनकी परिसम्पत्तियों के निष्पादन के लिए अनिवार्य

है। प्रसार भारती प्रसारण निगम की परिसम्पत्तियों की प्रक्रिया भारत के महालेखा नियंत्रक में निहित है।

तदनुसार, जहां तक वित्त विवरणी तैयार करने की पद्धति का संबंध है लेखा नीति-1 प्रकटन आवश्यकता पूरी करती है।

2. आकस्मिक देनदारियां

- कारपोरेशन की ओर से/दी गई बैंक गारण्टी: 17,871,922 रू०(पिछला वर्ष 41327367)
- कारपोरेशन की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र : 88,326,500 रूपए (पिछले वर्ष 21.47 करोड रू०)

3. इस तथ्य को देखते हुए कि लोक प्रसारक के रूप में प्रसार भारती को मूलभूत सुविधाओं के रख रखाव, प्रचालन और निर्माण के लिए मिलने वाला अनुदान विनिर्दिष्ट नहीं है अतः लेखा अभिमत के तहत प्रोत्साहकों का अंशदान मानते हुए इसके लिए सीधे कार्पस/पूंजीगत निधि से राशि ली गई है।

4. सरकार द्वारा मंजूर शाश्वत ऋण पर 7 % की दर से (318,93,02,217 रू० पिछले वर्ष 298,06,58,240 रू०) ब्याज देय है। ब्याज की शर्तों को माफ करने के लिए मामला सरकार के साथ उठाया जा रहा है।

5. निबन्धन और शर्तों के अनुसार सरकार द्वारा जारी ऋण पर 14.5 % की दर से (30,47,11,663 रू०, पिछले वर्ष 12,65,68,083 रू०) ब्याज है तथापि ऋण को ब्याज मुक्त कराने के लिए निगम की प्रार्थना पर एक निर्णय सरकार के पास लम्बित है।

6. केन्द्र सरकार द्वारा खाता मूल्य पर प्रसार भारती को हस्तांतरित आवधिक परिसम्पत्तियों की राशि लेखा महानियंत्रक के पत्र संख्या-सी०सी०ए०/आई एण्ड बी०/2002 दिनांक 3.9.2002 पर आधारित मानी गई है। तथा प्रत्यक्ष सत्यापन और मूल्यांकन के अधीन है।

7. कर प्रणाली

इस वर्ष के लिए प्रसार भारती आयकर देने का दायी नहीं था, अतः

8. पेंशन प्रभार कर्मचारियों को पेन्शन सुविधाएं देने संबंधी हैं। कर्मचारियों को निगम में हस्तान्तरण करने की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है अतः पेन्शन प्रभार के अलावा इस तरह के खाते से कोई अन्य भुगतान नहीं किया गया।

9. अन्तर्कार्यालय संक्रमण खाते सामान्यतया इन खातों में भिन्नता वित्त वर्ष के समापन में संक्रमण काल में धन भेजने को दर्शाती है तदनुसार यह लेखा में इसी तरह दर्शाए जाते हैं।

10. डिपोजिट वर्क्स
कार्य के व्यय के समायोजन के बाद पार्टियों से डिपोजिट वर्क्स के लिए प्राप्त राशि इस शीर्ष में रखी जाती है।

11. प्रसार भारती की लेखा परीक्षा के लिए महानियंत्रक की फीस दिए जाने का प्रावधान नहीं है क्योंकि वैधानिक लेखा परीक्षक मान्य नहीं किए गए हैं।

के.एस.सर्मा
के०एस० सर्मा
सी०ई०ओ०

हं.
एस० सुंदरेसन
सदस्य (वित्त)

हं.
एम० श्रीधरन
महाप्रबन्धक (बी०एण्ड ए०)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :

प्रसार भारती									
भारतीय प्रसारण निगम									
बजट एवं लेखा स्कंध									
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा वर्ष 2001-02 एवं 2000-01									
वर्ष		वर्ष							
2001-02		2000-01		2001-02			2000-01		
प्राप्तियाँ 2001-02 राशि				भुगतान			राशि		
				गैर योजना			गैर योजना		
				योजना			योजना		
				योग			योग		
1	अधिशेष द्वारा			1 व्यय द्वारा (राजस्व खाता)					
(क) मुख्यालय बैंक				(1) निर्देशन एवं					
(1) मुख्य शाखा	579493805	3000500		प्रशासन					
(2) आकाशवाणी प्रां	14898357			आकाशवाणी					
(3) दूरदर्शन प्राप्ति	5945655			651223273	60319265	711542538	195255547	6ए+007	254806135
(4) खेलखाता-सीबी	81574854	403376199		दूरदर्शन					
(5) केनरा बैंक के	644786220	52505023		232064907	1983862	234048769	198135522		198135522
(ख) अन्य कार्यालय	280783512			(2) प्रचालन एवं					
(1) नकद	6469871	56463379		अनुरक्षण					
(2) अग्रदाय	35483709	36767407		आकाशवाणी					
				806795854	64063470	870860324	815818481	2ए+007	832923761
				दूरदर्शन					
				1469631176	208906758	1676537934	1350061192	1.5ए+008	1495399536
				(3) योजना एवं					
				विकास					
						0			0
						0			0
				आकाशवाणी					
2	प्राप्त अनुदान			149283639	16833677	165117316	132360392	2ए+007	150472171
(1) सूचना एवं प्रसा	9117700000	9608962695		दूरदर्शन					
(2) स्वास्थ्य एवं परि	90881000	14086200		(4) कार्यक्रम सेवा					
व अन्य मंत्रालय						0			0
				आकाशवाणी					
				3338021944	105006568	3443028512	3393707724	5ए+007	3444598271
				दूरदर्शन					
				2058304912	208730671	2267035583	2118470277	9.7ए+008	3089181356
				(5) अनुसंधान एवं प्रशिक्षण					
3	सूचना एवं प्रसारण से ञ्चन			आकाशवाणी					
	1420500000	1393000000		77962005	5253623	83215628	73481046	1ए+007	84518177
				दूरदर्शन					
				5313671		5313671			0
4	अन्यो से प्राप्त जमा								
डिपॉजिट कार्या के र	53925779	150298817		घटा: गैर वितरित वेतन एवं भत्ते					
				-2604086		-2604086	-108179		-108179
5	प्रसार भारती व अन्य कार्यालयों से हस्तांतरण हो जाने के कारण बकाया			(6) भुगतानों द्वारा					
(1) प्रसार भारती ख	611576079			(1) व्यवसायिक सेवाए					
				आकाशवाणी					
				304503674	6706137	311209811	261528914	3455847	264984761

(2)अन्तर प्रभागीय/केन्द्र-हस्तांतरण	25229140		दूरदर्शन	225130364	324289350	549419714		312794895	2ए+007	334015623
(3)अन्य केन्द्र	74410725		(2)रायल्टी							
(4) अन्य कार्याल	109935984		आकाशवाणी	17418034	16600	17432634		23341657		23341657
			दूरदर्शन	161177912	4930977	166108889		30437280		30437280
5 सरकार को देय प्रा	20446582	164780510	(3)विज्ञापन एवं प्रचार			0				0
से(जी०पी०एफ.वेतन बिलों से		0	आकाशवाणी	8461099	734296	9195395		432810	2250934	2683744
वसूल दीर्घावधि अग्रिम			दूरदर्शन	616188		616188				0
7 प्रसार भारती राजस्व			(4)यू०एन०आई०/पी०टी०आई० को मुगतन							
(क)आकाशवाणी			आकाशवाणी	113277243		113277243		89596974		89596974
(1)व्यवसायिक	658182155	549881192	दूरदर्शन			0				0
(2)गैर व्यवसायिक	5254401	31688214	(5)कार्यक्रमों का कम्प्रीशनिंग (साब्टवेयर)			0				0
(ख)दूरदर्शन	0		आकाशवाणी		3367659	3367659		1577835		1577835
व्यवसायिक	4966455676	5651904035	दूरदर्शन		538962984	538962984		262130	1ए+007	11181130
गैर व्यवसायिक	5635108	6306571	(6)पेनम सेटलाईट			0				0
			आकाशवाणी			0				0
8 प्रसार भारती अन्य प्राप्तियां			दूरदर्शन		330604554	330604554			2.8ए+008	277741186
(1)आकाशवाणी एवं	20127102	7125046	(7)खेल गतिविधियां							
किराया/ला। फीस-			आकाशवाणी	61476		61476				
(2)अन्य प्राप्तियां	22982424		दूरदर्शन	474643377		474643377		1145091600		1145091600
(3)टावरों की लाईन	31544000									0
			कुल (राजस्व)	10091285662	1878710451	11869996113		10142246097	1.6ए+009	11730578540
9 अदा किए गए अग्रिमों का समायोजन						0				
(1)विभागीय अग्रिम	20531256					0				
(2)अन्य पार्टीयां	11518897					0				
						0				
						0				
						0				0
10 प्रतिभूति जमा/ई०ए	221986	9519663				0				
			2 व्यय द्वारा(पूंजीगत लेखा)							
11 सावधि जमा पर ब	3516120	35281902	(1)मशीन और उपकरण							
			आकाशवाणी		1042468	1042468		718471		718471
			दूरदर्शन		3321251	3321251		3110127		3110127

	कुल पूंजी	1050250	4331305138		4332365388	3557227991	0	3557227991
					0			
					0			
5	(1)स्टाक पर खर्च द्वारा	649267		649267		-5145687		-5145687
6	मुख्यालय और अन्य कार्यालयों के बीच हस्तांतरण				0			
	(1)प्रभाग	0		0				
	(2)डी0डी0ओ0 रिलीज	0				139883448		139883448
	(3)प्राप्तियां लेखा	0		0		62477872		62477872
7	अन्य शिक्ति भुगतानों द्वारा	0		0				0
	(क)को अग्रिम भुगतान			0				0
	(ए)डी0जी0एस0 एण्ड जी0	707000		707000				
	(ब)पी0एस0यू0			0		35897		35897
	(सी)अन्य पार्टियां	0		0		5993175		5993175
	(डी)विभागीय अग्रिम	17925373		17925373				0
	(ई)स्टाक को अग्रिम			0		60039		60039
	(ए)टी0ई0 वर प्रभाव	4936024		4936024		1135796		1135796
	(ख)वैतन बिल से कटौती	0	0	0				
	सरकारी खाते में जमा	0		0				
	(ग)एस0डिमाजिट/ई0एस0डी0 रिपण्ड द्वारा	0		0				
8	डिमाजिट वर्क में से भुगतान	0		0				0
9	अन्य मंत्रालयों/विभागों से ग्राण्ट इन0 ऐड में भुगतान				0			0
	(क)यूनिसेफ	218810	0	218810		173246		173246
	(ख)परिवार कल्याण और अन्य मंत्रालय	17010558	0	17010558		3534601		3534601
					0			

Audit Report on the Accounts of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), New Delhi, for the year 2001-02

1. Introduction

The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) was established under an Act of Parliament notified in the Gazette of India No. 643 of 23.11.1997. The main objectives of the Corporation are:

- to organise and conduct public broadcasting services to inform, educate and entertain the public and to ensure a balanced development of broadcasting on radio and television;
- to uphold the unity and integrity of the country and the values enshrined in the Constitution;
- to safeguard the citizen's right to be informed freely, truthfully and objectively on all matters of public interest, national or international, and to present a fair and balanced flow of information including contrasting views without advocating any opinion or ideology of its own;
- to pay special attention to the field of education and spread literacy, agriculture, rural development, environment, health and family welfare and science and technology;
- to provide adequate coverage to sports and games so as to encourage healthy competition and the spirit of sportsmanship;
- to expand broadcasting facilities by establishing additional channels of transmission at various levels.

As per Memorandum of Understanding of 22.5.2000 entered between Prasar Bharati and the Union Government, Prasar Bharati had switched over to the present new accounting system with effect from 2000-01. The accounts represents the consolidated position of the accounts of all the units of Prasar Bharati scattered all over India. The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) which commenced its activity as a corporate body w.e.f. 1.4.2000 has two wings, namely AIR (All India Radio) and DD (Doordarshan). The day to day transactions of receipts and payments of these two wings of Prasar Bharati are basically executed by about 600 DDOs.

The accounts of Prasar Bharati are audited under Section 19 (2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 21 (3) of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1997.

The Prasar Bharati is financed mainly by grants-in-aid and loan from the Government of India, Ministry of Information & Broadcasting. The Prasar Bharati received grants totaling Rs. 930.13 crore and loan of Rs. 142.05 crore from the Government of India during 2001-02. Besides, it received grants-in-aid of Rs. 9.09 crore from the Ministry of Health & Family Welfare and other Ministries. It also generated commercial receipts of Rs. 562.46 crore and non-commercial receipts of Rs. 1.09 crore during the year.

Comments on accounts

2. Balance Sheet

2.1 Liabilities

2.1.1 Current liabilities and provisions (Schedule-7)

2.1.1.1 Current liabilities-Advances received against deposit work: Rs. 20.42 crore

The payments made out of the amounts received as deposit work by the DDOs were shown more than the receipts. Consequently, the current liabilities included minus balances of Rs. 4.66 crore resulting in the understatement of liability by the same amount. The PAO-wise break-up of minus balances is given below:-

Name of the PAO	Opening balance	Receipts during the year	Payments during the year	Closing balance
PAO, DD, Chennai	0.13	(-) 3.92	-	(-) 3.80
PAO, AIR, Kolkata	(-) 251.61	-	154.59	(-) 406.20
PAO, DD, Nagpur	19.07	72.58	93.63	(-) 1.98
PAO, AIR, Mumbai	(-) 54.00	-	-	(-) 54.00
PAO, DD, Guwahati	-	0.99	1.15	(-) 0.16
			Total	(-) 466.14

The minus balances need to be urgently investigated and rectified. Prasar Bharati stated (February 2005) that minus balances were due to non-transfer of accumulated balances under the head SD/EMD and 'Deposit work' lying in Government Account. Chief Controller of Accounts, M/o Information and Broadcasting had been requested to transfer the balances to Prasar Bharati. On receipts of balances the minus balances would be liquidated.

2.1.1.2 Current liabilities- Deposits, earnest money, caution money/security deposit: Rs. 1.27 crore

(i) This liability included a receipt of Rs. 28.72 lakh reported by PAO, AIR, New Delhi and shown under the head FDR in the accounts of Prasar Bharati. The receipt of Rs. 28.72 lakh should have been reduced from the balance shown under the head 'Bank balances with scheduled banks on deposit accounts' (Canara Bank) in schedule 11 of current assets, loans and advances etc. instead of showing it as liability under the above head. This has resulted in the overstatement of liability as well as assets by Rs. 28.72 lakh. Prasar Bharati stated (February 2005) that necessary rectification had been made in the accounts for the financial year 2003-04.

(ii) This liability included Rs. 98.42 lakh pertaining to Security Deposit/Earnest Money Deposit refundable to outside parties. Scrutiny of Receipts and Payments Accounts submitted by Pay and Accounts Offices to the Prasar Bharati headquarters for consolidation and preparation of annual accounts for the year 2001-02 revealed that the payments made

out of the amounts received as security deposit/earnest money deposit by the DDOs were more than the receipts. Consequently, the current liabilities included minus balances of Rs. 4.19 crore resulting in the understatement of liability by the same amount. The PAOs-wise break-up of minus balances is given below:-

(Rs. in lakh)				
Name of the PAO	Opening Balance	Receipts	Payments	Closing Balance
PAO, AIR, New Delhi	66.03	392.07	500.34	(-) 42.24
PAO, AIR Chennai	(-) 40.58	-	117.08	(-) 157.66
PAO, AIR, Lucknow	0.18	45.67	58.58	(-) 12.73
PAO, DD, Kolkata	0.02	0.29	144.30	(-) 144.00
PAO, DD, Chennai	(-) 39.16	-	-	(-) 39.16
PAO, AIR, Kolkata	(-) 35.39	17.86	-	(-) 17.53
PAO, DD, New Delhi	-	-	6.14	(-) 6.14
			Total	(-) 419.46

The minus balances need to be urgently investigated and rectified. Prasar Bharati stated (February 2005) that minus balance were due to non-transfer of accumulated balances under the head SD/EMD and 'Deposit work' lying in Govt. Account. Chief Controller of Accounts, M/o Information & Broadcasting had been requested to transfer the balances to Prasar Bharati. On receipts of balances the minus balances would be liquidated.

2.1.1.3 Current liabilities- recovery from salary and wages etc: Rs. 21.31 crore

The above included:

(i) Rs. 1.19 crore towards Income Tax recovered from the Station Directors for depositing with the Income Tax department including Rs. 72.86 lakh pertaining to Income Tax recovered during the year 2000-2001. The above liability had not been discharged contrary to provisions under Income Tax Act. Prasar Bharati stated (February 2005) that it seemed to be misclassification in accounts and matter had been taken up with all the concerned PAOs.

(ii) Rs. 2.01 crore pertaining to 'rent/licence fee for AIR staff housing'. Since the above liability was not payable to any outside agency/party, the entire receipt of Rs. 2.01 crore. should have been shown as income of the Prasar Bharati. This had resulted in overstatement of liability by Rs. 2.01 crore as well as understatement of income by the same amount. Prasar Bharati stated (February 2005) that correction had been made in 2003-04 accounts.

(iii) A net liability of Rs. 1.58 crore pertaining to recoveries on behalf of Government dues (including income tax). Remittances of recoveries on behalf of Government were more than the recoveries which indicates misclassification in accounts or non-accounting of receipts/recoveries.

(Rs. in lakh)					
Name of the PAO	Head of account	Opening Balance as on 1.4.2001	Receipts	Remittances	Closing Balance as on 31.3.2002
PAO, DD, N. Delhi	Recoveries on behalf of Govt.	-	8.64	40.54	(-) 31.90
-Do-	I-Tax from Contractors	(-) 144.78	-	-	(-) 144.78

PAO, AIR, Chennai	-do-	(-) 13.34	-	-	(-) 13.34
-do-	Recoveries on behalf of Govt.	Nil	0.07	17.26	(-) 17.19
PAO, DD, Chennai	-do -	(-) 116.95	24.97	29.31	(-) 121.29
PAO, AIR, Kolkata	I-Tax from contractors	(-) 39.25	-	-	(-) 39.85
PAO, DD, Kolkata	Recoveries on behalf of Govt.	(-) 3.02	(-) 43.29	-	(-) 46.31
				Total	(-) 414.66

Vigorous steps need to be taken to reconcile the minus balances.

Prasar Bharati stated (February 2005) that matter had been referred to the concerned PAOs to propose rectification of errors.

(iv) Rs. 1.58 crore pertaining to recoveries on behalf of Government including income and professional tax which had not been discharged by the following eight PAOs inspite of sufficient funds.

(Rs. in lakh)	
Name of the PAO	Liability not discharged ²
PAO, AIR New Delhi	49.03
PAO, AIR, Lucknow	3.80
PAO, AIR, Kolkata	1373.10
PAO, DD, Guwahati	644.78
PAO, DD, Nagpur	3.97
PAO, DD, Mumbai	3.80
PAO, FD, Mumbai	69.32
PAO, DD, Kolkata	0.30
Total	2148.10

PAO, DD, Kolkata, PAO, DD, Guwahati, PAO, DD, Nagpur, PAO, DD, Mumbai and PAO, AIR New Delhi had not remitted any money into Government account during 2001-02, out of the recoveries effected by them on behalf of the Government. Further, accounts of PAO, AIR, New Delhi, PAO, AIR, Chennai, PAO, DD, Guwahati, PAO, DD, Nagpur, PAO, DD, Mumbai and IRLA, New Delhi did not reflect any recoveries on behalf of Government during 2001-02.

Prasar Bharati stated (February 2005) that in the year 2001-02 funds were released to the DDOs on gross basis and they were asked to remit the recoveries to the PAOs by cheque/DD. As such the recoveries were not reflected in account as the cheques were drawn simultaneously alongwith drawal of net salaries to the employees. Non-discharge of liabilities might be either due to shortage of funds or misclassification in accounts. PAOs had been asked to furnish the details.

2.1.1.4 Current liabilities- Sundry creditors- others: Rs. 3.21 crore

The amount booked under the above head was adjustable against amount shown under the head 'Other Misc. payments-Other parties and Departmental advances' on payment side of the Receipt & Payments Accounts. Thus, wrong booking under the head

'Sundry Creditors' as liability in the Balance Sheet resulted into overstatement of liability by Rs. 3.21 crore.

Prasar Bharati stated (February 2005) that out of liability of Rs. 3.21 crore, Rs. 1.79 crore shown in payment side was adjustable against it. Rs. 1.42 crore was yet to adjusted against departmental advances.

2.1.1.5 Provisions Rs. Nil

(i) This does not include Rs. 318.93 crore being the interest at the rate of 7 per cent on Government loan of Rs. 4258.08 crore. The matter has been taken up by Prasar Bharati with the Government for waiver vide note 4 of Schedule 25. The Government has not yet (November 2004) accepted its request.

(ii) This does not include Rs. 30.47 crore towards interest at the rate of 14.5 per cent on Government loan of Rs. 281.35 crore. The request of the Corporation to make the loan interest free has not yet been accepted by the Government (November 2004).

(iii) No provision has been made for depreciation on fixed assets and for bad and doubtful debts in the accounts. Prasar Bharati stated (February 2005) that it had adopted cash accounting, hence, no provision for depreciation had been made in account. Reply is not tenable as depreciation is to be charged on fixed assets.

2.1.2 Corpus/Capital Fund (Schedule-1)

Grants-in-aid: Rs. 911.77 crore

Against the sanctioned grants of Rs. 930.13 crore, only Rs. 911.77 crore were shown as receipt under the head 'Grants received from Ministry of Information and Broadcasting' resulting into understatement of income as well as corpus/capital funds by Rs. 18.36 crore. Prasar Bharati stated (February 2005) that correction had been made in the accounts for the year 2002-03.

2.2 Assets

2.2.1 Fixed Assets (Schedule-8): Rs. 5052.88 crore

The Balance Sheet of Prasar Bharati showed assets valued at Rs. 5052.88 crore as on 31st March 2002 under following heads:

Heads	(Rs. in lakh)
Plant, Machinery & Equipment	
(a) Studio	159289.09
(b) Transmitters	256391.25
(c) Others	7721.32
Vehicles	42.65
Furniture & fixtures	158.71
Office equipment	256.86
Other fixed assets- Capital expenditure on various schemes	81428.30
Total	505288.18

A Central Assets Register required to be maintained under General Financial Rules in form GFR-19 was not maintained by Prasar Bharati. In the absence of Assets Register, the correctness of value of assets of Rs. 5052.88 crore could not be verified in audit. Prasar Bharati stated (April 2004) that as per the procedure laid down in AIR/DD manual, field units were required to maintain Asset Registers. The reply is not tenable as without a Central Register, authenticity of the figures shown in the Balance Sheet could not be verified. Prasar Bharati stated (February 2005) that as per existing instructions stations had been asked to continue to maintain asset register. Correctness of assets of Rs. 4258 crore transferred to Prasar Bharati as 'Loan in perpetuity' would be verified on completion of proforma accounts of all the stations. Feasibility of maintaining Central Asset Register for land and building was being considered.

2.2.2 Sundry Debtors: Rs. 0

This does not include the amount due from various parties as on 31.3.2002, the details of which have not been collected from the units and not been compiled/ consolidated and brought to books of accounts and incorporated in the final accounts of Prasar Bharati. The amount recoverable from various parties in lieu of services provided by Prasar Bharati should have been reflected in the accounts. Prasar Bharati stated (February 2005) that the accounts were being made on cash basis. Reply is not tenable, as the policy of the Corporation is not in consonance with the generally accepted accounting principles.

2.2.3 Current assets, Loans and Advances etc. (Schedule-11)

2.2.3.1 Current assets- Bank balances with scheduled banks- on current account: Rs. 47.65 crore and on collection account: Rs. 5.89 crore

Following bank accounts were being operated by Prasar Bharati during 2001-02. However, the Corporate Headquarters has not maintained the relevant accounting records viz. account-wise cash book, account-wise ledger, journal books, general ledger, account-wise monthly bank reconciliation statements etc. Bank reconciliation has not been conducted and the un-reconciled figures have been included in the final accounts of Prasar Bharati for the year 2001-02.

Name of the Bank	Current A/c No.	Name of the Account	Operated jointly by
Canara Bank	1657	Sports A/c (Receipt A/c)	GM (B&A) & GM (P)
State Bank of India	01000503122	Receipt A/c	GM(B&A) & GM(P)
State Bank of India	01000503120	Receipt A/c	GM(B&A) & GM(P)

Prasar Bharati stated (February 2005) that the record was being constructed.

2.2.3.2 Current assets- Bank Balances- with various offices: Rs. 159.58 crore

(i) Bank reconciliation statement for the year 2001-2002 relating to Expenditure Bank Accounts were received by P.A.O. in January and February, 2004 when the Receipts and Payments Accounts were consolidated and approved by the Corporate headquarters. The closing balances already adopted in the approved final accounts in respect of some D.D.Os. were not correct resulting into understatement by Rs. 2.67 crore (in 7 cases) and overstatement by Rs. 1.72 crore (5 cases) of closing balances (A) Bank Account (other offices).

(ii) This was understated by Rs. 6.84 lakh due to non-cancellation of time barred cheques relating to PAO, AIR, New Delhi. Prasar Bharati stated (February 2005) that since bank reconciliation statements were not being received from DDOs, PAOs were not able to check the quantum and status of time-barred cheques.

(iii) In order to judge the accuracy or correctness of bank account with the statement of accounts provided by the bank the pass book balance on any date must tally with the balance shown by bank column of the cash book on the same date. Prasar Bharati had issued instructions vide its circular No. PB(B)(1)/DGM(B&A) dated 20.2.2001 and stressed on the need for preparation of bank reconciliation statement on monthly basis and sending it with Receipt and Payments Accounts. None of the Pay and Accounts offices had submitted bank reconciliation statements for the year 2001-02. The correctness of bank balances of Rs. 159.58 crore shown in the above accounts could not, therefore, be verified in audit. Prasar Bharati stated (February 2005) that vigorous efforts were being made to get the Bank Reconciliation statement from DDOs and PAOs.

(iv) The above included Rs. 11.59 crore pertaining to closing balance of Receipt Account as on 31.3.2002 shown by 7 PAOs, i.e, AIRs New Delhi, Lucknow, Kolkata, Mumbai and DDs Kolkata, Guwahati, Nagpur in their respective accounts for the year 2001-02. Prasar Bharati vide their order No. PB(BCI)/DGM(B&A) dated 20.2.2001 had directed to all the DDOs to deposit commercial/non-commercial receipts into the separate bank account called 'Receipts Account' over which they have no operational powers. The DDOs were also required to submit to PAO, a statement of Deposits in 'Receipt Account' in the prescribed format giving the details of deposits in receipts and transfer therefrom to Prasar Bharati's main account. The PAOs in turn were entrusted with the task of preparing consolidated statement of all the DDOs in respect of receipts deposited in the bank in the 'Receipt Account' of which one copy was to be sent to the DGM (B&A) and one copy to the Budget Division of AIR/DD. However, such statement in respect of deposits made into the Receipt Account and transfers therefrom to Prasar Bharati Main Account was not submitted by any of the PAO to Prasar Bharati. In the absence of which, the closing balance of Rs. 8.77 crore shown by the PAOs mentioned in sub-para 2.2.5 (iv) under the head 'Receipt Account' in their accounts as on 31.3.2002 could not be verified in audit. Prasar Bharati stated (February 2005) that DDO's & PAO's had been asked to prepare Bank Reconciliation statement for both Receipts and Expenditure account but the same were still awaited from some field units so reconciliation work could not be completed.

(v) Further, differences were also noticed in the closing balance reflected under the head 'Receipt Account' by the respective PAOs in their Receipts and Payments Accounts and that should have appeared in the accounts after taking into account the opening balance, receipts during the year and amount transferred to Prasar Bharati main accounts shown in their accounts. The details are given below:-

(Rs. in lakh)

Name of the PAO	Opening balance as per Receipts and Payments accounts as on 1.4.2001	Receipt during the year 2001-02	Funds transferred to PB main account during 2001-02	Closing balance to appear in the Receipts & Payments Accounts for 2001-02	Closing balance as per accounts as on 31.3.2002	Difference
AIR, Mumbai	159.61	1810.38	1686.47	283.52	315.83	32.31
AIR, Lucknow	4.26	36.18	26.26	14.18	17.57	3.39
AIR, Kolkata	50.87	508.14	138.61	420.40	478.96	58.56
DD, Kolkata	21.14	30.81	31.92	20.02	20.71	0.69
DD, Guwahati	8.43	26.54	1.87	33.10	30.86	(-) 2.24
DD, Nagpur	2.25	10.61	-	12.86	13.00	0.14
			Total	784.08	876.93	

Thus, Prasar Bharati finalised the accounts without reconciling the above differences. Prasar Bharati stated (February 2005) that the matter was being taken up with the concerned PAOs.

2.2.3.3 Current assets- remittances to/from HQ/DDOs in transit/reconciliation: Rs. 32.20 crore

(i) This included a difference of Rs. 103.84 crore as detailed below in the closing balances of following heads of accounts for the year 2000-01 with the opening balances for the year 2001-02:-

Head of Account	Closing Balance as on 31.3.2001	Opening Balance as on 1.4.2001	Difference
Bank Balance			
Other offices	13260.04	2807.83	(-)10452.21
Cash in hand	70.20	64.70	(-) 5.50
Imprest	281.17	354.84	(+) 73.67
Total	13611.41	3227.37	10384.04

This has resulted in the overstatement of imprest by Rs. 73.67 lakh and understatement of Bank balance-other offices and cash in hand by Rs. 104.52 crore and Rs. 5.50 lakh respectively. Prasar Bharati confirmed (April 2004) the above difference in the accounts and stated (February 2005) that the matter was under correspondence with the DDO's/PAO's.

(ii) This included Rs. 11.17 crore shown under the head 'Receipts awaiting transfer to final head' on the receipt side of the Receipts and Payments Accounts of Prasar Bharati for the year ended 31.3.2002. The PAO-wise break-up of the above amount was as under:-

	(Rs. in lakh)
PAO, DD, Delhi	1075.33
PAO, DD, Chennai	17.36
PAO, DD, Lucknow	23.93

The amount booked under the above head represented the amount of differences between monthly closing bank/cash balances and opening balance of bank/cash of the following months. The adjustment of above difference in the above head of account has resulted in the understatement of assets by Rs. 11.17 crore. Prasar Bharati stated (April 2004) that the concerned PAOs had been asked to clear the above head of account. The amount in question would be cleared as and when replies from the PAOs were received.

2.2.3.4 Loans and Advances- others: Rs. 2.96 crore

This included Rs. 49.36 lakh booked under the head 'Effect of T.E.' on the payments side of the Receipt and Payments Accounts of Prasar Bharati for the year ended 31.3.2002. The details and nature of above booking was not available with the corporate office and the amount was yet to be booked under the correct head of account. Prasar Bharati stated (February 2005) that the matter was still under correspondence with PAOs, DD Nagpur and Guwahati.

3. Income and Expenditure

3.1 Expenditure

3.1.1 Interest. Rs. Nil

(i) This does not include Rs. 318.93 crore being the interest at the rate of 7 per cent accrued and due on 'Loan in Perpetuity' of Rs. 4258.08 crore granted by the Union Government. Prasar Bharati has requested for waiver of interest with the Government vide note 4 under schedule 25 which was yet to be accepted by the Government (November 2004). No provision has been made in the accounts for this item. This has resulted in understatement of liability by Rs. 318.93 crore. This has also resulted in understatement of 'Excess of expenditure over income' by the same extent.

Prasar Bharati Stated (February 2005) that matter for waiver of interest on loan had already been taken up with the Ministry.

(ii) This does not include Rs. 30.47 crore being the interest at the rate of 14.5 per cent accrued and due on loan of Rs. 281.35 crore received from the Union Government. Prasar Bharati's request to make the loan interest free has not yet been accepted by the Government (November 2004). No provision has been made in the accounts for this item. This has resulted in understatement of liability by Rs. 30.47 crore. This has also resulted in understatement of "Excess of expenditure over income" by the same extent.

Prasar Bharati Stated (February 2005) that matter for waiver of interest on loan had already been taken up with the Ministry.

3.2 Income

3.2.1 Grant/Subsidies (Schedule-13) Rs. Nil

As per the format of Income and Expenditure Account prescribed by Government of India, Ministry of Finance, the grants- in -aid received from the Union Government are required to be accounted as income of Prasar Bharati. However, grants-in-aid of Rs. 920.86 crore received during the year were treated as Corpus/Capital Fund instead of as income resulting in overstatement of 'Excess of expenditure over income' by Rs. 920.86 crore. The accounts of Prasar Bharati should have depicted 'excess of income over expenditure' by Rs. 252.90 crore instead of 'excess of expenditure over income' by Rs. 667.96 crore. Prasar Bharati stated (February 2005) that Government grants made were for unspecified in nature, capital approach had been taken up by crediting them directly to Corpus/Capital Fund, treating it in the nature of promoters' contribution. The deficit shown in the Income and Expenditure Account was, however, adjusted against Government grants. The net effect remained the same. Prasar Bharati further stated that system of accounting of Government grants was, however, under consideration.

3.2.2 Interest earned (Schedule-17) on term deposit with scheduled banks: Rs. 35.16 lakh

(i) Scrutiny of Receipt and Payment Account of PAO, AIR, New Delhi for the year 2001-02, with reference to consolidation of accounts at the headquarters revealed that Rs. 59.75 lakh had been received as interest by Prasar Bharati on fixed deposit during 2001-02. Out of this amount, of Rs. 24.59 lakh was remitted to the Budget Section and the remaining Rs. 35.16 lakh was shown as income under the head 'interest on fixed deposit'. As the amount of interest earned was remitted to the Headquarters, the remittance of Rs. 24.59 lakh to the Budget Section should have been depicted as 'funds transferred' to Prasar Bharati A/c - (i) Division instead of reducing it from the interest received. This led to exhibition of understatement of income by Rs. 24.59 lakh in the accounts of Prasar Bharati. Prasar Bharati stated (February 2005) that as Controller of Accounts was not having any 'Receipt Account', the interest earned of FDR was transferred to Budget Section and shown under the head 'Inter Current Account' transfer of funds. Budget section was the final authority for classification of receipts in their account. It transpired from their account that it was accounted by them as 'Misc. Receipts' instead of 'Interest earned'. As such there was no understatement of income. Reply is not tenable as the classification adopted was wrong.

(ii) Rs. 64.48 crore shown as opening balance-FDR with Canara Bank included an FDR of Rs. 43 crore as well. Prasar Bharati had not depicted it in the closing balance of deposits with Canara Bank, indicating that it had matured during the year. Prasar Bharati could not furnish details of its maturity and interest earned thereon during the year 2001-02. The accounts of Prasar Bharati also did not reflect the receipt of Rs. 43 crore. Non-accounting of interest earned on the fixed deposit of Rs. 43 crore had resulted in the overstatement of excess of expenditure over income. Prasar Bharati stated (February 2005) that FDR of Rs. 43 crore had matured in the year 2001-02 but inadvertently the interest earned on these deposits was credited to deposit account. Correction was being made in 2003-04 accounts.

4. Receipts and Payments Accounts

4.1 Receipts

4.1.1 Outstanding on Account of transfers from Prasar Bharati and other offices (DDO): Rs. 10.99 crore

This is the net difference between the amounts remitted by all the field units and reported to Corporate headquarters and the amounts found remitted in the receipt account. This difference has not been reconciled by the Corporate headquarters with field units. In the absence of which, the correctness of figures depicted in the Receipts and Payments Accounts could not be verified in audit. Prasar Bharati stated (February 2005) that on receipts of Bank Reconciliation Statement for receipt account from the DDO's the difference would be located and misclassification in account, if any, rectified in the account.

4.1.2 Outstanding on Account of transfers from Prasar Bharati and other offices- Prasar Bharati account: Rs. 61.16 crore

This is the net difference between the amounts released by Budget section of Prasar Bharati during the year 2001-02 to various field units situated outside the Corporate headquarters less their refunds made to the Corporate headquarters and the consolidated total of the actual receipts booked by the field offices and intimated to the Corporate headquarters. The above difference had not been reconciled by the Corporate headquarters. In the absence of which the correctness of figures depicted in the Receipts and Payments Accounts could not be verified in audit. Prasar Bharati stated (February 2005) that difference represented the amount released at the fag end of the year 2001-02. PAOs had been asked to reconcile the figures with the DDO's concerned.

4.2 Payments

4.2.1 Non-clearance of minus balance in the Receipts and Payments Accounts of Prasar Bharati

The balances shown under the following head of accounts consist of minus entries which have not been cleared so far resulting in the understatement of receipts by Rs. 3.92 lakh and understatement of payment by Rs. 7.24 lakh.

(Rs. in lakh)		
Name of the PAO Receipts	Head of Accounts	Amount
PAO, DD, Chennai	Deposit received from other parties/departments	(-) 3.92

Name of the PAO Payments	Head of Accounts	Amount
PAO, AIR, Kolkata	Deduction from pay bills	(-) 2.79
PAO, AIR, Mumbai	- do	(-) 0.12
PAO, AIR, Kolkata	Arbitration payment	(-) 1.51
PAO, AIR, Chennai	Expenditure on stock	(-) 2.82
	Total	(-)7.24

Prasar Bharati stated (February 2005) that the matter had been taken up with the concerned PAOs to liquidate the adverse balances.

4.2.2 Non-depiction of bank accounts –Receipts Account and Expenditure Account separately in the accounts of Prasar Bharati

Every drawing and disbursing officer (DDO) under the jurisdiction of Prasar Bharati is required to maintain two separate bank accounts viz Receipt Account and Expenditure Account to manage their funds. While all the receipts of the DDOs (both commercial and non-commercial) is deposited into the Receipt Account which is ultimately remitted to the Receipt Account maintained at the Corporate headquarters, the grants released by Prasar Bharati to the DDOs is deposited into the Expenditure Accounts and all payments are made therefrom. However, scrutiny of accounts of Prasar Bharati for the year ending 31st March 2002 revealed that bank balances lying under the Receipt and Expenditure Accounts of the field units had not been shown separately in the accounts. This resulted in the balances lying in the above accounts at the close of the financial year not being verified in audit. Prasar Bharati also could not furnish PAO-wise breakup of amount lying in these accounts. Prasar Bharati stated that (February 2005) that once the process of preparation of Bank Reconciliation Statement both for Receipt & Expenditure account was completed, bifurcation of both the accounts would be reflected in future.

4.2.3 Closing Bank Balance- AIR Receipts Account: Rs. 3.22 crore

Prasar Bharati had not maintained cash book in respect of the above account. Consequently, the correctness of the closing balance of Rs. 3.22 crore shown under the head 'AIR Receipt Account' could not be verified in audit. Prasar Bharati stated (February 2005) that the cash book of AIR Receipt Account had been constructed and could be seen during next audit.

4.2.4 Closing Balance- Bank- DD Receipts Accounts: Rs. 2.67 crore

Prasar Bharati had not maintained cash book in respect of the above accounts. Consequently, the correctness of closing balance of Rs. 2.67 crore shown under the head 'DD Receipt Account' could not be verified in audit. Prasar Bharati stated (February 2005) that the cash book for DD Receipt accounts had been constructed and could be seen during next audit.

5. General

5.1 A reference is invited to the significant accounting policy No. 3 which states that transfer of assets by the Union Government is subject to actual valuation and verification. Therefore, a statement indicating the list of assets transferred by Union Government alongwith the value at which they have been taken to accounts should have been distinctly disclosed by way of a Note under schedule 25. The facts of pendency of actual valuation and verification should have also been disclosed in the accounts by way of Note forming part of accounts. Prasar Bharati stated (February 2005) that list would be completed only on completion of Proforma Accounts. The fact and pendency of actual verification and valuation would be disclosed as 'Notes to Account'.

5.2 As per section 3(4) of Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990, its general superintendence, direction and management of the affairs vest in the Prasar Bharati Board which may exercise all such powers and do all such acts and things as may be exercised or done by Prasar Bharati under this Act.

It was observed in audit that Prasar Bharati does not have any Accounting Manual. There are also no distinctly documented internal control procedures to ensure cost efficient governance. Prasar Bharati stated (February 2005) that the Accounting Manual would be prepared keeping in view the approved accounting policy from the Ministry of Information and Broadcasting.

5.3 As per Rule 116(1) of GFR, physical verification of assts should be conducted once in a year but Prasar Bharati did not have information on physical verification of assets by field units and stated (April 2004) that field units were required to conduct physical verification of assets held by them and record the results in a register. The registers were available in field units. In the absence of information of physical verification of assets, value of assets depicted in the accounts of Prasar Bharati for the year-ended 31.3.2002 could not be verified in audit. Prasar Bharati further stated (February 2005) that since the custodian of the assets were the field units, they have been authorised as per existing arrangement to conduct physical verification of assets and record certificate in the asset register. Earlier such certificate recorded by the field unit in the Proforma Account. However, as per past practice DDO would be asked to furnish certificate alongwith Receipts and Payments Account of March each year.

5.4 Prasar Bharati could not give a certificate to the effect that it was not holding any obsolete or unserviceable assets. It stated (April 2004) that both DG, AIR and DG, Doordarshan were advised to obtain the information from the field units and it would be available in these offices. Consequently, the correctness of value of fixed assets of Rs. 5052.88 crore could not be verified in audit. Prasar Bharati further stated (February 2005) that heads of office/head of department had been delegated powers to identify and dispose the stores under the delegated powers. Instructions to this effect had been reiterated to field offices.

5.5 Notes an accounts

As per item 11 to notes on accounts, the Prasar Bharati has mentioned that "C&AG's fee for audit of accounts of Prasar Bharati has not been provided for as statutory auditors have not advised". The incorporation of this clause is not in consonance with the rules and charging of fees for certification of annual accounts is mandatory in cases where audit is taken up under Sections 19(2) and 20 of C&AG's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

6. Internal Audit

Prasar Bharati as per its Balance Sheet as on 31.3.2002, has total assets and liability worth Rs. 5380.45 crore comprising fixed assets of Rs. 5052.88 crore. It received grant of Rs. 930.13 crore and loan of Rs. 142.05 crore from the Government of India during the year 2001-02. Besides, it received grants in aid of Rs. 9.09 crore from the Ministry of Health & Family Welfare and other Ministries. However, it was noticed that no internal audit system existed in Prasar Bharati.

Keeping in view the large amount of grants being received by Prasar Bharati from the Government of India and its range of activities, there is an urgent need to establish an internal audit system for keeping a watch over the quantum, flow and propriety of expenditure, diversion of funds, reconciliation of income and expenditure etc. Prasar Bharati stated (February 2005) that a team had already been constituted with the consent of Chief Controller of Accounts, Ministry of Information and Broadcasting and they had started doing the internal audit of accounts of DDO's of Prasar Bharati pending establishment of an internal audit structure.

7. Format of Accounts

Significant Accounting Policies (Schedule 24)

A reference is invited to Accounting Policy No. 1 regarding preparation of its financial statements on cash basis. Policy of Prasar Bharati is not in consonance with the generally accepted accounting principles. Besides, uniform format of accounts prescribed by the Government of India, Ministry of Finance for Central Autonomous Bodies is also based on the principles of accrual system of accounting.

8. Unit records not produced

The accounts records of Doordarshan Commercial Services, New Delhi were not made available to audit. Records relating to consolidation of Receipt and Payments accounts of 65 DDOs were not available with PAO, Doordarshan Soochna Bhawan, New Delhi.

The details relating to computer hardware and software that existed with or were utilised by Prasar Bharati corporate headquarters, AIR Wing and Doordarshan wing during the year were not made available to audit. Consequently, this aspect could not be verified in audit. Prasar Bharati stated (February 2005) that records would be provided during audit of accounts for the year 2002-03.

9. Effect of audit comments on Accounts

The net impact of the comments given in preceding paragraphs is that assets as on 31.3.2002 were understated by Rs. 115.74 crore, liabilities understated by Rs. 371.11 crore and excess of expenditure over income was overstated by Rs. 592.08 crore.

Place : New Delhi

Dated: 30.5.05



Director General of Audit
Central Revenues

Audit Certificate

I have examined the Receipts and Payments Account, Income and Expenditure Account for the year ended 31 March 2002 and the Balance Sheet as on 31 March 2002 of Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), New Delhi. I have obtained all the information and explanations that I have required, except

the accounts records of Doordarshan Commercial Services, New Delhi, the records relating to consolidation of Receipts and Payments accounts of 65 DDOs and the details relating to computer hardware and software that existed in the Prasar Bharati Headquarters, AIR wing and Doordarshan wing

and subject to these clarifications furnished in notes attached to and forming part of the accounts and the appended audit report, which, *inter-alia*, contains the following major audit observations:-

- Understatement of current liabilities - advances received against deposit work were understated by Rs. 4.66 crore due to inclusion of minus balance. {Para 2.1.1.1};
- Overstatement of current liabilities - deposits, earnest money, caution money/security deposit were overstated by Rs. 28.72 lakh due to inclusion of FDR {Para 2.1.1.2 (i)};
- Understatement of current liability - deposits, earnest money caution money/security deposit were understated by Rs. 4.19 crore due to inclusion of minus balances {Para 2.1.1.2 (ii)};
- Income Tax liability of Rs. 1.19 crore and Rs. 21.48 crore was not discharged {Para 2.1.1.3 (i) & (iv)};
- Overstatement of liability and understatement of income by Rs. 2.01 crore due to wrong treatment of rent/licence fee of AIR headquarters {Para 2.1.1.3 (ii)};
- Understatement of current liability - recovery from salary and wages etc. were understated by Rs. 4.15 crore due to inclusion of minus balance {Para 2.1.1.3 (iii)};
- Overstatement of current liabilities - sundry creditors were overstated by Rs. 3.21 crore due to incorrect booking (Para 2.1.1.4);
- Understatement of grants-in-aid by Rs. 18.36 crore (Para 2.1.2);
- Non-maintenance of asset register (Para 2.2.1);
- Understatement of assets by Rs. 11.17 crore due to existence of differences between monthly closing bank/cash balances and opening balance of bank/cash of the following month {Para 2.2.3.3 (ii)};
- Understatement of income due to capitalisation of entire grant of Rs. 920.86 crore (Para 3.2.1);
- Understatement of income as term deposit with scheduled banks by Rs. 24.59 lakh {Para 3.2.2(i)};
- Non-accounting of interest on FDR of Rs. 43 crore {Para 3.2.2(ii)};
- Non-existence of internal audit (Para 6)

I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are not properly drawn up and cannot be said to exhibit true and fair view of the state of affairs of Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India), New Delhi according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

Place : New Delhi
Dated: 30.5.05




Director General of Audit
Central Revenues


PARASAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)
BALANCE SHEET AS AT 31.03.02

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule No	Rs	Rs
		As at 31.03.02	As at 31.03.01
Corpus/Capital Fund	1	0	1163324448
Reserves and Surplus	2	0	0
Earmarked/Endowment Funds	3	7948015535	3588577477
Secured Loan	4	0	0
Unsecured Loan	5	45394302000	43973802000
Deferred Credit Liabilities	6	0	0
Current Liabilities and Provisions	7	462136150	329888462
TOTAL		53804453685	49055592387
ASSETS			
Fixed Assets	8	50528817535	46169379477
Capital Work-in progress	8	0	0
Investments (I) Earmarked/Endowment Funds	9	0	0
(II) Others	10	0	0
Current Assets, Loans and Advances	11	2608549260	2886212910
Miscellaneous Expenditure			
Deficit as per Income & Expenditure Account		667086890	0
TOTAL		53804453685	49055592387

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES	24
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25



K.S.SARMA
CEO



S. SUNDERASAN
Member (Finance)



M. SRIDHARAN
General Manager (B&A)

Place: New Delhi
Dated

RASAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 2001-02

	Schedule No	Rs As at 31.03.02	Rs As at 31.03.01
INCOME			
Income from Sales/ Services	12	5635527340	6239780013
Grants /subsidies	13	0	0
Fees/subscriptions	14	0	0
Income from Investments (income on investments from Earmarked/endow. Funds transferred to Funds)	15	0	0
Income from Royalty, Publications etc	16	0	0
Interest Earned	17	3516120	35281902
Other Income	18	54526424	0
Increase/(decrease) in stock of Finished Goods and WIP	19	0	0
TOTAL A		5693569884	6275061915
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	10728665348	10119353731
Programme related Expenses	21	1644458816	1578967662
Expenditure on Grants, subsidies etc	22	0	0
Interest	23	0	0
Depreciation		0	0
TOTAL B		12373124164	11698321393
Balance being excess of Expenditure over Income (A-B)		-6679554280	-5423259478
Less: Transferred from Corpus/Capital Fund		6012467390	-5423259478
Add: Balance brought forward from previous year		0	0
BALANCE BEING DEFICIT CARRIED OVER TO BALANCE SHEET		-667086890	-

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICES 24
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS 25


K.S.SARMA
CEO


S. SUNDERASAN
Member (Finance)


M. SRIDHARAN
General Manager (B&A)

Place: New Delhi
Dated

PRASAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.02

SCHEDULE 1- CORPUS/CAPITAL FUND:

Balance as at the beginning of the year

Add: Grants -In-Aid received during the year from Govt. Of India, Ministry of I&B -Plan

Add: Grants -In-Aid received during the year from Govt. Of India, Ministry of I&B-Non-Plan

Add: Grants-In-Aid received during the year from Ministry of H&FW and other Ministries

(Refer Schedule 25, Note- 3 of Notes to Accounts)

Deduct: Transferred to Capital Assets Fund

Balance Corups/Capital Fund

Adjusted against net expenditure (deficit) in the Income and

Expenditure Account

BALANCE AS AT THE YEAR END

	Rs As at 31.03.02	Rs As at 31.03.01
Balance as at the beginning of the year	1163324448	552112508
Add: Grants -In-Aid received during the year from Govt. Of India, Ministry of I&B -Plan	9117700000	709600000
Add: Grants -In-Aid received during the year from Govt. Of India, Ministry of I&B-Non-Plan	90881000	8899362695
Add: Grants-In-Aid received during the year from Ministry of H&FW and other Ministries		14086200
Deduct: Transferred to Capital Assets Fund	4359438058	3588577477
Balance Corups/Capital Fund	6012467390	6586583926
Adjusted against net expenditure (deficit) in the Income and Expenditure Account	6012467390	-5423259478
BALANCE AS AT THE YEAR END	-	1163324448

SCHEDULE 2- RESERVES AND SURPLUS

1. Capital Reserve:

As per last account

Additions during the years

2. General Reserve

As per last account

Addition during the year

Less: Deductions during the year

SCHEDULE 3- EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

CAPITAL ASSETS FUNDS

a) Opening Balance of the funds

b) Additions to the Funds: Amounts transferred from Corpus/Capital Fund for meeting Capital Expenditures/Advances

NET BALANCE AS AT THE YEAR END (a+b)

3588577477	0
4359438058	3588577477
7948015535	3588577477

SCHEDULE 4- SECURED LOANS AND BORROWINGS:

SCHEDULE 5- UNSECURED LOANS

1. Loan In Perpetuity

Interest thereon being taken up for waiver(Refer Schedule 25, Note 4 of Notes to Accounts)

2. Central Government

Interest thereon taken up for waiver Refer Schedule 25, Note 5 of Notes to Accounts)

TOTAL

Note: Amount due within one year (nil)

42580802000	42580802000
2813500000	1393000000
45394302000	43973802000

RASAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)
 SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.02

	Rs As at 31.03.02	Rs As at 31.03.01
SCHEDULE 6- DEFERRED CREDIT LIABILITIES:		
SCHEDULE 7- CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS		
A. Current Liabilities		
Advances received- against deposit work	204224596	150298817
Deposits, earnest money, caution money/security deposits	12713649	9619663
Other current liabilities -recoveries from salary and wages etc.	213147752	169969982
Sundry Creditors-others	32050153	0
Total A	462136150	329888462
B Provisions		
Total B	0	0
Total A+B	462136150	329888462

VASAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.02

SCHEDULE 8- FIXED ASSETS

DESCRIPTION	GROSS BLOCK			Depreciation		Net Block		
	Cost as on 1st April 01	Additions/ Transfers from civil wings during the year	Deductions/ transfers/ disposal reclassification during the year	Cost at the year end 31.03.02	For the year	Cumulative upto to the year	As at 31st Mar' 2002	As at 31st Mar' 2001
A. Fixed Assets:								
1. Land								
2. Buildings Others								
3. Plant Machinery & Equipments								
a) Studios	15359607467	569301123		15928908590			15928908590	15359607467
b) Transmitters	22508262985	3130861610		25639124595			25639124595	22508262985
c) Others	147642787	624488916		772131703			772131703	147642787
4. Vehicles	307260	3957820		4265080			4265080	307260
5. Furniture, Fixtures	6368069	9503307		15871376			15871376	6368069
6. Office Equipments	10011744	15673997		25685741			25685741	10011744
7. Other fixed assets Capital Expenditure on various schemes	8137179165	5651285		8142830450			8142830450	8137179165
Total of Current Year (A)	46169379477	4359438058		50528817535			50528817535	46169379477
B. CAPITAL WORK-IN-PROGRESS								
Total(B)							0	0
TOTAL	46169379477	4359438058	0	50528817535			50528817535	46169379477

Previous Year	42560802000	3588577477	0	46169379471	0	0	46169379477
---------------	-------------	------------	---	-------------	---	---	-------------

Additions during the year include fixed assets acquired out of Grants from Govt Rs 4359438058
 (Refer Schedule 25, Note 6 of Notes to Accounts)

VIASAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)
 SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.02
 SCHEDULE 9- INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

1. In Government Securities
 2. Other approved securities
 3. Other
 Total

Rs As at 31.03.02	Rs As at 31.03.01
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

SCHEDULE 10- INVESTMENTS-OTHER

1. In government Securities
 2. Other approved securities
 3. Others
 Total

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

SCHEDULE 11- CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES ETC

A. CURRENT ASSETS:

- Inventories
 Sundry Debtors

0	0
46591400	35137200
476490953	661068659
58929279	20844012
77966988	644786220
1595811038	1326004264
321966298	191147648
2577755956	2878988003

- Cash Balance in hand
 Bank Balances
 a) With Scheduled Banks
 on current accounts
 on Collection accounts
 on Deposit account (Canara Bank)
 with Various offices
 b) Remittances to/from HQ/DDOs in transit/reconciliation's

Total(A)

SAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.02

	Rs As at 31.03.02	Rs As at 31.03.01
B. Loans/advances	0	
1. Loans/advances		
Staff	60039	60039
Others	29597469	6029072
Suspense account	1135796	1135796
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received		
On capital account	0	0
Prepayment	0	0
Others	0	0
3. Interest Accrued:		
On investments from Earmarked/endowment funds	0	0
On investments others	0	0
Others	0	0
4. Claims receivable	0	0
Total (B)	30793304	7224907
Total (A)+(B)	2608549260	2886212910

6

SCHEDULE 12- INCOME FROM SALES/SERVICES

Income from services		
Air, Commercial and DD	5635527340	6239780013
Total	5635527340	6239780013

SCHEDULE 13- GRANTS /SUBSIDIES

1) Central Government	0	0
2) State Government	0	0
Total	0	0

SCHEDULE 14-FEES/SUBSCRIPTIONS

0	0
---	---

SCHEDULE 15-INCOME FROM INVESTMENTS

	Investments from Earmarked Funds	Investment-others
Interest on Fixed Deposits		
Total		

SCHEDULE 16-INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATIONS ETC

0	0
---	---

SCHEDULE 17 INTEREST EARNED

On Term Deposits with Scheduled Banks		
	3516120	35281902
Total	3516120	35281902

SCHEDULE 18- OTHER INCOME

	54526424	0
Total	54526424	0

5

SCHEDULE 19- INCREASE (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WIP

SCHEDULE 20- ESTABLISHMENT AND OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES

	Rs 31.03.02 Plan	Rs 31.03.02 Non-Plan	Rs 31.03.01 Plan	Rs 31.03.01 Non-Plan
Payment against GIA from other Ministries/Departments	0	17229368	0	3707847
Research and Training expenses	5253623	83275676	11037131	73481046
Direction and Administration expenses	62303127	883288180	59550588	393391069
Operation and Maintenance expense	270970228	2276428030	162443624	2185879673
Planning & Development expenses	16833677	149283639	18111779	132360392
Programme Services expenses	313737239	5396326856	1021601626	5512178001
Professional services paid	330995487	529634038	24676575	574323809
Advertisement and Publicity	734296	9077287	2250934	432810
Other Services	0	0	0	0
Bank Charges	0	0	0	422000
Pensioning charges	0	409718000	0	0
Leave Salary Contribution	0	0	0	0
Engineering Stores Consumed	0	123609398	0	6545256
Less: Capital expenditure charged to Fixed Assets	0	-150032801	0	-43040429
TOTAL	1000827677	9727837671	1299672257	8819681474

SCHEDULE 21-PROGRAMME RELATED EXPENSES

	Rs 31.03.02 Plan	Rs 31.03.02 Non-Plan	Rs 31.03.01 Plan	Rs 31.03.01 Non-Plan
Royalty	4947577	178593946	0	53778937
Payment to UN/PTI	0	113277243	0	89596974
Commissioning of Programme Soft Wares expenses	542330643	0	10919000	1839965
Panam Satellite expenses	330604554	0	277741186	0
Sport Events Expenses	0	474704853	0	1145091600
Total	877882774	766576042	288660186	1290307476

SCHEDULE 22- EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC

SCHEDULE 23- INTEREST

Interest on Loan- Central Government
Interest on Loan in Perpetuity
Total interest

0	0
0	0
0	0

(Refer Schedule 25, Note 4 & 5 of Notes to Accounts)

PRASAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.02

SCHEDULE 24 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. **Method of accounting**
It is the policy of the corporation to prepare its financial statements on the cash receipts and disbursements basis. On this basis, revenue and the related assets are recognized when received rather than when earned, and expenses are recognized when paid rather than when the obligations is incurred.
2. **Inventory Valuation**
Stores and Spares (including machinery spares) are valued at cost.
3. **Fixed Assets**
Fixed assets are stated at transfer amount in respect of assets transferred to Prasar Bharati and the corresponding credit is to "Loan In Perpetuity".

In respect of capital expenditure incurred on different schemes undertaken by AIR and DD, all related and associated expenses are capitalized.

Transfers of Assets by the Central Government are subject to actual valuation and verifications.
4. **Method of depreciation**
No Depreciation has been provided.
5. **Foreign Currency Transactions**
Transaction in foreign currencies are accounted for at the prevailing exchange rates at the date of transactions.

PRASAR BHARATI (BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.02

SCHEDULE 25 - NOTES ON ACCOUNTS & CONTINGENT LIABILITIES

NOTES ON ACCOUNTS

Accounts are Provisional subject to audit by CAG

1. Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) is established as general public utility institution and fall under the category of "Not-for-Profit Organization". Accordingly, based on Generally accepted accounting practices, and Section 145 of the Income Tax Act, it can follow either cash or mercantile systems of accounting.

Considering the organization structure and prevalent past practices and the simplicity aspects, cash basis of accounting is adopted. Under this system revenue or grants or donations etc. are recognized when cash is collected. Similarly, expenditure on acquisition and maintenance of assets used in rendering of services as well as employees remuneration and other items are recorded when the related payments take place. The Income and Expenditure account and the Balance Sheet therefore, are based on the Cash Receipt and Payments.


Referring the issue of applicability of the Accounting Standards in preparing the financial statements, the following points has been considered:

- Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) has been established under the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990, and is not incorporated under Section 25 of the Companies Act.
- The Accounting standards as issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) are mandatory on members of the Institute in the performance of their attest functions as per the relevant announcements made by the ICAI from time to time. The attest function of the Prasar Bharati Broadcasting Corporation is vested with CAG of India.

Accordingly, the Accounting Policy 1 meets the disclosure requirement as far as methods of preparation of financial statements are concerned.

2. Contingent Liabilities
In respect of:
 - Bank Guarantees given by/on behalf of the Corporation: Rs. 17,871,922 (Previous year: Rs. 41327367).
 - Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Corporation: Rs. 88,326,500 (Previous year: 21.47 crores).
3. In view to the fact that Central Government Grants are unspecified received for the purpose of maintaining, operating and creating the infrastructure of Prasar Bharati as Public Broadcasters, the 'Capital Approach' has been taken by crediting them directly to Corpus/Capital Fund, treating in the nature of promoters' contribution.
4. 'Loan in Perpetuity' granted by Government attracts interest @ 7%, (Rs 318,93,02,217; Previous year: Rs. 298,06,58,240). The matter is being taken up with the Government for waiver of Interest condition.
5. Interest on Loan from Government is @ 14.5% (Rs 30,47,11,663; Previous year: Rs 12,65,68,083) as per the terms & conditions of the loan. However, a decision is pending by the Govt. on the request of the Corporation to make the loan interest free.


6. The amount of Fixed Assets transferred at book value to Prasar Bharati by the Central Government has been considered based on Chief Controller of Accounts' letter No CCA/I&B/2002 dated 3.09.02 and is also subject of physical verification and valuation.
7. Taxation
Prasar Bharati was not liable to any Income Tax for the year and hence not provided for.
8. Pensionary charges are in respect of contribution made to employees pensionary benefits. As notification of transfer of employees to the Entity has not been issued as yet, no other-payments have been made on such account except pensionary charges.
9. Inter Office Transactions Accounts
The difference in these accounts generally represent remittances in transit on the close of financial year, accordingly they are shown as such in the accounts.
10. Deposit Works
Amounts received from parties for deposit work is after adjusting expenditures against such work.
11. CAG's fee for audit of accounts of Prasar Bharati has not been provided for as statutory Auditors have not advised.



K.S.SHARMA
CEO



S.SUNDERASAN
MEMBER (Finance)



M. SRIDHARAN
General Manager (B&A)

Place: New Delhi
Dated

